

एकीकृत रिपोर्ट और
लेखा परीक्षित वार्षिक खाते
**Integrated Report &
Annual Accounts
2020-21**



Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Vision

To be an efficient, transparent & professionally managed autonomous public body in the field of procurement, supply chain, logistics and management of health sector supplies in India.

दूरदर्शिता

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की आपूर्तियों के प्रापण, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और देखरेख के क्षेत्र में एक कुशल, पारदर्शी एवं पेशेवर तरीके से संचालित स्वायत्त सार्वजनिक निकाय बनना।

Mission

To procure high quality health sector goods in a transparent and cost-effective manner in line with the directives of the Government of India and ensure timely and uninterrupted supply of health sector goods & services for the citizens of the country.

मिशन

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की हेल्थ सेक्टर वस्तुओं की पारदर्शी एवं किफायती तरीके से प्रापण करना और देश के नागरिकों के लिए हेल्थ सेक्टर वस्तुओं एवं सेवाओं की समयबद्ध एवं निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करना।



एकीकृत रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक खाते

Integrated Report & Annual Accounts

2020-21




Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India





Integrated Report & Annual Accounts 2020-21





डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री
Hon'ble Union Minister for Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers



डॉ. भारती प्रविण पवार

Dr. Bharati Pravin Pawar

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare





Integrated Report & Annual Accounts 2020-21





Annual Report

Sl. No.	Content	Page No.
1.	CEO's Report	1
2.	Overview	2
3.	Organisation and Infrastructure	3-7
4.	Major Activities and Achievements	8
5.	Resolution	9
6.	Governing Body	10

वार्षिक रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सी.ई.ओ. की रिपोर्ट	11
2.	अवलोकन	12
3.	संगठन एवं बुनियादी संरचना	13-17
4.	प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ	18
5.	संकल्प	19
6.	शासी निकाय	20

Audited Report

Sl. No.	Content	Page No.
1.	Draft SAR of CAG & Reply of CMSS	21-32
2.	Final CAG Letter with SAR	33-38
3.	Annual Accounts 2020-21	39-68

लेखा परीक्षित रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निर्णयक पत्र	69
2.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एसएआर और सीएमएसएस का उत्तर	70-73
3.	वार्षिक खाते 2020-2021	74-104



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21





CEO's Report

On behalf of the Governing Body, I have great pleasure in presenting the 8th Annual Report of the Central Medical Service Society together with the audited Statement of Accounts and the CAG's report thereon for the financial year ending 31st March, 2021.

During the year 2020-21 we placed order as mentioned below:-

- Procurement of FWP for the total value of Rs.45.06 Crores
- Procurement of NVBDCP for the total value of Rs. 463.30 Crores
- Procurement of NTEP for the total value of Rs. 893.47Crores
- Procurement of NACP for the total value of Rs. 1341.76 Crores
- Procurement of NVHCP for the total value of Rs. 80.29 Crores
- Procurement of UIP for the total value of Rs. 253.72 Crores
- Procurement of COVID Materials (Oxygen Cylinder & PSA Oxygen plants) for total value of Rs.259.49 Crores
- Procurement of Child Health Program (RCH) for the total value of Rs.40.30 Crores
- Procurement of CDSCO for the total value of Rs.9.11 Crores

During the year 2020-21, procurement cases worth Rs.3386.55 Crores approx. were finalized by CMSS. It is indeed satisfying to see an exponential growth of 46.5% as compared to last financial year 2019-20. In compliance to instructions of GOI/Ministry of Finance, Tenders were invited through electronic bidding of National Competitive Bidding and published in CPP portal. Procurement through GeM Portal also made notable progress during the year.

The objectives of procurement are successfully met only when attention is paid to broader range of activities that include timely receiving, ensuring quality control & fast delivery to end users. During 2020-21, tender finalization time post opening of bids was reduced to below 60 days. Presently, CMSS has 20 warehouses spread across the country and mostly colocated at State capitals. Required numbers of staffs have been posted and trained and all warehouses are enabled with online inventory management software. During the year, Anti TB Drugs, ARV Drugs, Laboratory Consumables, RDT for Kala Azar, Contraceptives, Catridges for CB NAAT machines, Hepatitis-C medicines, Hepatitis-C diagnostic kits, HIV Kits, Syringe for Covid Vaccine, Medical Oxygen Cylinder & PSA Oxygen Plant were delivered to State Nodal Stores. A panel of reputed Govt. & Private accredited testing laboratories is in place for testing of pharmaceutical products.

For Covid19 management, CMSS was entrusted the responsibility for supply, installation, testing & commissioning of 156 PSA Medical Oxygen Generation Plant on PAN India basis. Appx 102400 Medical Oxygen cylinder procurement was also concluded in shortest possible time as per EG-II directives.

(Suresh Puri)

DG & CEO

Central Medical Services Society



Overview

Central Medical Services Society (CMSS) has been established as a Central Procurement Agency (CPA) to streamline drug procurement and distribution system of Department of Health and Family Welfare (DoHFW), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) and to eliminate existing deficiencies.

Programmes of the Ministry: The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has been procuring drugs, vaccines, contraceptives and medical equipment for many vertically administered programmes, such as Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP), National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP), Universal Immunisation Programmes (UIP), Family Welfare Programme (FWP), Reproductive and Child Health (RCH) Programme, AIDS control Programme, National Viral Hepatitis Control Programme and Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO).

The Supply Chain Management Model of CMSS : The CMSS has hired 20 warehouses at state capitals or at the nearest available place to the state capital. A carefully selected IT system has been developed for web based monitoring of inventories at all the warehouses. The state governments draw their requirements of drugs from the state level warehouses. The CMSS maintains continuous stock in the warehouses for uninterrupted supply to the state governments.



Organization and Infrastructure

1.1 INTRODUCTION

The CMSS is functioning as an independent, professional and autonomous agency for purchasing medicines, vaccines, contraceptives and medical equipment's for all disease control programmes of the Union Health Ministry. The CMSS is responsible for quality control and distribution of above mentioned health sector goods to the State Governments and UTs by setting up IT enabled State level warehouses in 50 locations spread across the country. The main objectives of the CMSS are:

- To procure health sector goods efficiently.
- To put in place transparent and competitive systems for procurement so that goods are procured at competitive rates.
- To put in place foolproof systems for quality control so that the user gets quality products; quality will be the main driver restricting tender participation to firms of high standard.
- To set up and manage an efficient supply chain.
- To put in place an MIS to prevent stock outs and excess inventory and also to reduce wastage, if not eliminate it.
- To standardise specifications, tender procedure, documents, billing and payment systems.
- To interact with the Ministry and State governments on requirement of health sector goods, their standardisation and quality control.
- To assist the EPW in its efforts on States procurement reforms.
- To give technical and managerial assistance to States on procurement and logistics.
- To deal with procurement and distribution with the service provider and the user in view and improve the system based on their feedback.
- To function with service as the prime motive rather than profit.
- To promote rational use of drugs.

1.2 LEGAL STATUS

The CMSS is a registered society under the Societies Registration Act of 1860.

1.3 ORGANISATIONAL STRUCTURE

The Additional Secretary in charge of procurement in the Ministry is the ex-officio Chairman. There is a full time DG&CEO, a joint secretary level officer, responsible for overall management of society. He is assisted by 06 General Managers, each responsible for the following functions:

- Procurement
- Logistics
- Finance
- Quality Assurance
- Administration

General Managers are assisted by 7 Assistant General Managers. The IT responsibility is outsourced and managed by C-DAC.


The warehouses are managed by a Pharmacist; a Junior Pharmacist and a DEO.

For Internal audits, CAG empanelled Chartered Accountants was deployed on outsourcing bases.



The Organizational structure of the CMSS is as given below:

CMSS -Organogram



1.4 OUR FOOTPRINTS

The CMSS has warehouses in 20 locations to serve all State Governments and Union Territories.



Central Medical Services Society Warehouses at 20 Locations.



1.5 LIST OF WAREHOUSES

Sr. No.	Warehouse Location	States/UTs covered by the Warehouses
1.	Agartala	Tripura
		Manipur
		Mizoram
2.	Ahmedabad	Gujarat
3.	Bengaluru	Karnataka
4.	Bhopal	Madhya Pradesh
5.	Chandigarh	Chandigarh
		Punjab
		Haryana
		Himachal Pradesh
6.	Chennai	Tamil Nadu
		Puducherry
		Andaman & Nicobar Islands
7.	Jaipur	Odisha
8.	Delhi	Delhi
9.	Guwahati	Assam
		Arunachal Pradesh
		Meghalaya
		Nagaland
		Sikkim
10.	Hyderabad	Telangana
		Andhra Pradesh
11.	Jaipur	Rajasthan
12.	Kolkata	West Bengal
13.	Lucknow	Uttar Pradesh
14.	Mumbai	Maharashtra
		Goa
		Dadra and Nagar Haveli
		Daman and Diu
15.	Pathankot	Jammu & Kashmir
16.	Patna	Bihar
17.	Raipur	Chhattisgarh
18.	Ranchi	Jharkhand
19.	Srinagar	Uttarakhand
20.	Thiruvananthapuram	Kerala
		Lakshadweep



1.6 IT SOFTWARE

The CMSS conducts its operations through a web based online inventory control system with features of complete supply chain management. After careful survey, research and examination “e-Aushadhi” - an IT system for Drug Distribution and Management has been outsourced from C-DAC. The IT system has been customized and has been functioning since 1st December 2016. All the transactions made IT-driven from issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.

1.7 QUALITY CONTROL

Quality is considered as the main driver in procurement reform to be undertaken by the CMSS. The Quality Policy is in place.

The aim of QA in Public Pharmaceutical Procurement / Supply System is to ensure that each medicine / product reaching to a patient is of desired quality.

Adopted Post - dispatch inspection for ensuring quality medicines are received.

Apex level Govt. laboratories such as IPC, CDTL, NIMR, AIIMS, CIPET, EFRACL, EQDC, Arbro, Shri Ram, IIBAT and RMRIMS were empanelled for testing of samples.

With this, the arrangements for testing the procured drugs are in place to ensure that quality is met in every batch that will be distributed to the State and Union Territory authorities.

CMSS remains committed to its objective of ensuring Quality.

1.8 PERFORMANCE PARAMETERS FOR THE CMSS

Based on the objectives set for the CMSS some broad performance parameters are as given below:

- (1) All State warehouses should have at least 3 month's requirement of the State as the normal stock.
- (2) No drug/vaccine will be wasted on account of time expiry.
- (3) Procurement process and placing of orders should be based on a calendar and Long Term Agreement for the annual demand.
- (4) Transparent two bid procedure and standard tender document are in place.
- (5) Payment to suppliers within 60 days of receipt of supplies including the time for testing.
- (6) All the Court matters are handled effectively and no adverse decisions were passed by any Hon'ble Court.
- (7) Logo of CMSS was finalized and approved.



Major Activities and Achievements

2.1 MEETINGS OF THE GOVERNING BODY

In the Financial Year 2020-21, 14 meetings (48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th and 61st) of the Governing Body were convened on 9th April 2020, 29th April 2020, 25th June 2020, 24th July 2020, 27th August 2020, 5th November 2020, 17th November 2020, 4th December 2020, 9th December 2020, 11th December 2020, 3rd February 2021, 15th February 2021 & 5th March 2021 respectively. Important procurement decisions taken were:

- Procurement of FWP for the total value of Rs. 45.06 Crores.
- Procurement of NVBDCP for the total value of Rs. 463.30 Crores.
- Procurement of NTEP for the total value of Rs. 893.47 Crores.
- Procurement of NACP for the total value of Rs. 1341.76 Crores.
- Procurement of NVHCP for the total value of Rs. 80.29 Crores.
- Procurement of UIP for the total value of Rs. 253.72 Crores
- Procurement of COVID Materials (Oxygen Cylinder & PSA Oxygen plants) for total value of Rs.259.49 Crores
- Procurement of Child Health Program (RCH) for the total value of Rs.40.30 Crores
- Procurement of CDSCO for the total value of Rs.9.11 Crores

2.2 FUNCTIONING OF WAREHOUSES

There are at present 20 warehouses at various locations across the country to serve the needs of States and UTs. The warehouses have been hired from Central Warehousing Corporation (CWC). The warehouses have been renovated suitably and made compliant to good storage conditions and functional.

2.3 IT SOFTWARE

As per the requirement of CMSS “e-Aushadhi” software was customized by C-DAC. Now this “e-Aushadhi” software is fully functional. All the transactions are made IT-driven from issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.


2.4 WAREHOUSE STAFF

Each warehouse is managed by a team of 3 comprising of Pharmacist, Junior Pharmacist and DEO. Total sanctioned staff strength for 20 warehouses is 60.



रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1 - खण्ड 1

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health and Family Welfare) RESOLUTION

New Delhi, the 26th October, 2013

No. S-12012/59/2011-EPW, - The Government has decided to establish a fully autonomous central procurement agency (CPA) as a society under the Societies Registration Act, 1860 for efficient procurement and distribution of health sector goods.

2. Accordingly, the Central Medical Services Society (CMSS) has been registered under the Societies Registration Act, 1860 on 22nd March 2012 vide Registration No. S/094/2012 with its Registered office at Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi – 110011.
3. The CMSS will be responsible for procuring health sector goods in a transparent and cost effective manner and distributing them to the States/UT's by setting up an IT enabled supply chain infrastructure including warehouses in 50 locations.
4. The main objective of CMSS is to ensure uninterrupted supply of health-sector goods to the State Government which will then maintain the flow to the govt. health facilities such as district hospitals, primary health centers and community health centers.
5. CMSS will follow a totally transparent process with a two bid system for procurement and all decisions on procurement will be taken by the CMSS without any reference to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The Ministry will however, be responsible for policy decisions concerning procurement and for monitoring its performance.
6. The CMSS will also assist the state governments to set up similar organizations in states to reform their procurement.

KESHAV DESIRAJU, Secy.



GOVERNING BODY

S. No	Name	Designation
1	Dr. Manohar Agnani	AS, MoHFW & Chairman GB, CMSS
2	Dr. Dharmendra Singh Gangwar	AS&FA, MoHFW
3	Smt. Vandana Gurnani	AS & MD, MoHFW
4	Sh. Suresh Puri	DG & CEO, CMSS
5	Sh. Vikas Sheel	JS (RNTCP), MoHFW
6	Sh. Lav Agarwal	JS (PH), MoHFW
7	Sh. Alok Saxena	JS (NACP), MoHFW
8	Dr Nipun Vinayak	JS (Procurement), MoHFW
9	Smt. Rekha Shukla	JS (NVBDCP), MoHFW
10	Smt. Preeti Pant	JS (RCH), MoHFW
11	Dr. V G Somani	DCG (I), MoHFW
12	Dr. K S Sachdeva	DDG (TB), MoHFW
13	Dr Naresh Goyal	DDG (NACO), MoHFW
14	Dr. Neeraj Dhingra	Director, NVBDCP, MoHFW
15	Dr. Sila Dev	Addl. Commissioner, CHD, MoHFW
16	Dr. Teja Ram	JC, I/C FWP, MoHFW
17	Dr. Sandhya Bhullar	Director, NVHCP, MoHFW
18	Sh. DVK Rao	DS (I/C) Procurement , MoHFW
19	Sh. Alok Nigam	Principal Secy, Dept of HFW, Govt of Haryana
20	Sh. Vikram Dev Dutt	Principal Secretary (H & FW), Govt. of NCT of Delhi
21	Dr. P. Umanath	MD, TNMSCL, Chennai
22	Dr. Navjot Khosha	MD, KMSCL, Thiruvananthapuram
23	Sh. Suresh Chand Gupta	MD, RMSCL, Rajasthan



सी० ई० ओ० की रिपोर्ट

केंद्रीय चिकित्सा सेवा समिति के शासी निकाय की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित विवरण और सीएजी की रिपोर्ट के साथ 8वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान हमने निम्नलिखित मूल्य के ऑर्डर दिए :-

- एफडब्ल्यूपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 45.06 करोड़
- एनवीबीडीसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 463.30 करोड़
- एनटीईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 893.47 करोड़
- एनएसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 1341.76 करोड़
- एनवीएचसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 80.29 करोड़
- यूआईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 253.72 करोड़
- कोविड सामग्री खरीद (ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र) के कुल मूल्य रु. 259.49 करोड़
- आरसीएच कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 40.30 करोड़
- सीडीएससीओ कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 9.11 करोड़

वर्ष 2020-21 के दौरान, सीएमएसएस द्वारा लगभग 3386.55 करोड़ रुपये के खरीद मामलों को पूरा किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 46.5% की घातीय वृद्धि देखना वास्तव में संतोषजनक है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गईं और सीपीपी पोर्टल में प्रकाशित की गईं। जेम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीद ने भी वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की।

खरीद के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक तभी पूरा किया जाता है जब गतिविधियों की व्यापक श्रेणी पर ध्यान दिया जाता है जिसमें समय पर प्राप्त करना, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और अंतिम उपयोगकर्ताओं को तेजी से वितरण शामिल है। 2020-21 के दौरान, निविदा को अंतिम रूप देने के बाद बोली खोलने का समय घटाकर 60 दिनों से कम कर दिया गया। वर्तमान में, सीएमएसएस के देश भर में फैले 20 गोदाम हैं और ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आवश्यक संख्या में कर्मचारियों को तैनात और प्रशिक्षित किया गया है और सभी गोदामों को ऑनलाइन इन्वेंट्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ सक्षम किया गया है। वर्ष के दौरान, एंटी टीबी ड्रग्स, एआरवी ड्रग्स, प्रयोगशाला उपभोग्य वस्तुएं, काला अजार के लिए आरडीटी, गर्भनिरोधक, सीबी एनएएटी मशीनों के लिए कैंट्रीज, हेपेटाइटिस-सी दवाएं, हेपेटाइटिस-सी डायग्नोस्टिक किट, एचआईवी किट, कोविड वैक्सीन के लिए सिरिज, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को राज्य नोडल स्टोर्स में पहुंचाया गया। दवा उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित सरकारी और निजी मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक पैनल मौजूद है।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए, सीएमएसएस को अखिल भारतीय आधार पर 156 पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लगभग 102400 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद भी ईजी-II निर्देशों के अनुसार कम से कम समय में पूरी की गई।

सुरेश पुरी

(सुरेश पुरी)

डीजी और सीईओ
सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी



अवलोकन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी, दवा खरीद और वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए एक केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में और मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए गठन हुआ है।

मंत्रालय के कार्यक्रम : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कई वर्टिकली प्रशासित कार्यक्रमों के लिए दवाओं, टीकों, गर्भ निरोधकों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय ट्यूबरक्यूलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी), परिवार नियोजन कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी), प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच), एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीओ), राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)।

सीएमएसएस का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन मॉडल : सीएमएसएस ने राज्य की राजधानियों में या राज्य की राजधानी के निकटतम उपलब्ध स्थान पर 20 गोदाम किराए पर लिए हैं। सभी गोदामों में मालसूची की वेब आधारित निगरानी के लिए सावधानीपूर्वक चयनित आईटी प्रणाली विकसित की गई है। राज्य सरकारें राज्य स्तर के गोदामों से दवाओं की अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। राज्य सरकारों को निर्बाध आपूर्ति के लिए सीएमएसएस गोदामों में निरंतर स्टॉक रखता है।



संगठन एवं बुनियादी संरचना

1.1 परिचय

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए दवाएं, टीके, गर्भनिरोधक और चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर और स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति देश भर में फैले 50 स्थानों में आईटी सक्षम राज्य स्तरीय गोदामों की स्थापना करके राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपर्युक्त स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों के गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। सीएमएसएस के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रापण करना।
- प्रापण के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित करना ताकि प्रतिस्पर्धी दरों पर सामान का प्रापण किया जा सके।
- गुणवत्ता नियंत्रण के लिए फुलप्रूफ सिस्टम स्थापित करना ताकि उपयोगकर्ता को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलें। गुणवत्ता उच्च स्तर की फर्मों के लिए निविदा भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाला मुख्य मानक होगा।
- दक्ष आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और प्रबंधन करना।
- स्टॉक आउट और अतिरिक्त इन्वेंट्री को रोकने के लिए एक एमआईएस स्थापित करना और बर्बादी को कम करना, यदि उसे बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता।
- विनिर्देशों, निविदा प्रक्रिया, दस्तावेजों, बिलिंग और भुगतान प्रणालियों का मानकीकरण करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों की आवश्यकता, उनके मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ बातचीत करना।
- राज्यों के प्रापण सुधारों पर अपने प्रयासों में ईपीडब्ल्यू की सहायता करना।
- प्रापण और रसद पर राज्यों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देना।
- सेवा प्रदाता और उपयोगकर्ता के साथ खरीद और वितरण से निपटने के लिए और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्रणाली में सुधार करना।
- लाभ के बजाय सेवा के साथ मुख्य उद्देश्य के रूप में कार्य करना।
- औषधियों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना।

1.2 विधिक – स्थिति

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।

1.3 संगठन संरचना :

मंत्रालय में प्रापण के प्रभारी अतिरिक्त सचिव पदेन अध्यक्ष हैं। एक पूर्णकालिक महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो कि एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, वे सोसायटी के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें 06 महाप्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, प्रत्येक निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:-

- वसूली
- रसद
- वित्त
- गुणवत्ता आश्वासन
- प्रशासन

महाप्रबंधकों की सहायता 7 सहायक महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है। आईटी की जिम्मेदारी सी-डैक द्वारा आउटसोर्स और प्रबंधित की जाती है।


गोदामों का प्रबंधन एक फार्मासिस्ट, एक जूनियर फार्मासिस्ट और एक डीईओ द्वारा किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए, सीएजी पैनलबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आउटसोर्सिंग आधार पर तैनात किया गया था।



केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:

सीएमएसएस का संगठनात्मक चार्ट



1.4 भंडारगृहों का स्थान

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए सीएमएसएस के 20 भंडारगृह हैं।



केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी भंडारगृहों के 20 स्थान।



1.5 भंडारगृहों की सूची

क्र. स.	भंडारगृहों के स्थान	भंडारगृह द्वारा कवर किए गए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश
1	अगरतला	त्रिपुरा
		मणिपुर
		मिजोरम
2	अहमदाबाद	गुजरात
3	बैंगलोर	कर्नाटक
4	भोपाल	मध्य प्रदेश
5	चंडीगढ़	चंडीगढ़
		पंजाब
		हरियाणा
		हिमाचल प्रदेश
6	चेन्नई	तमिलनाडु
		पुदुच्चेरी
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
7	जाजपुर	उड़ीसा
8	दिल्ली	दिल्ली
9	गुवाहाटी	असम
		अरुणाचल प्रदेश
		मेघालय
		नागालैंड
		सिक्किम
10	हैदराबाद	तेलंगाना
		आन्ध्र प्रदेश
11	जयपुर	राजस्थान
12	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
13	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
14	मुंबई	महाराष्ट्र
		गोवा
		दादरा और नगर हवेली
		दमन और दीव
15	पठानकोट	जम्मू-कश्मीर
16	पटना	बिहार
17	रायपुर	छत्तीसगढ़
18	रांची	झारखंड
19	श्रीनगर	उत्तराखंड
20	त्रिरुवनंतपुरम	केरल
		लक्षद्वीप



1.6 आई0 टी0 सॉफ्टवेयर

सीएमएसएस संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विशिष्टताओं के साथ एक वेब आधारित ऑनलाइन वस्तु-सूची नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अपने प्रचालनों का संचालन करती है। सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं जांच के बाद सीडेक से “ई-औषधि”, जो औषधि वितरण एवं प्रबंधन के लिए एक आईटी प्रणाली है, आउटसोर्स की गई है। आईटी प्रणाली को अनुकूलित किया गया है, और इसे 1 दिसंबर 2016 से प्रयोग के लिए शुरू कर दिया गया है। सभी लेन-देन और खरीदारी को आईटी-चलित बनाया गया है जैसे खरीद आदेश जारी करना, आपूर्ति रसीद, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करने और इस प्रकार देशी और मानवीकृत त्रुटियों को समाप्त कर दिया गया है।

1.7 गुणवत्ता नियंत्रण

सीएमएसएस द्वारा किए जाने वाले प्रापण सुधार में गुणवत्ता मुख्य उत्प्रेरक मानी जाती है। गुणवत्ता नीति विद्यमान है।

सार्वजनिक फार्मास्युटिकल प्रोक्योरमेंट/सप्लाय सिस्टम में गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक दवा, रोगी को वांछित गुणवत्ता के साथ पहुंचायी जा सके।

पोस्ट-प्रेषण निरीक्षण से गुणवत्ता वाली दवाओं की सुरक्षित प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

नमूनों की जांच के लिए आईपीसी, सीडीटीएल, एनआईएमआर, एम्स, सीआईपीईटी, इएफआरएसीएल, इक्यूडीसी, आरब्रो, श्री राम, आईआईबीएटी और आरएमआरआईएमएस जैसी शीर्ष स्तर की सरकारी प्रयोगशालाओं का पैनल बनाया गया है।

इसके साथ ही इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित होगा कि क्रय की जाने वाली दवाओं को जिसका राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र प्राधिकारों को वितरण होगा उसकी प्रत्येक बैच की गुणवत्ता पूर्ण हो।

सीएमएसएस गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1.8 सीएमएसएस के लिए कार्य-निष्पादन पैरामीटर

सीएमएसएस के लिए नियत उद्देश्यों के आधार पर कुछ प्रमुख कार्य-निष्पादन पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:-

- (1) सभी राज्य भंडारगृहों में राज्य की कम से कम 3 महीनों की जरूरत सामान्य स्टॉक के रूप में होनी चाहिए।
- (2) समय बीत जाने की दृष्टि से कोई भी औषधि/टीके की बर्बादी को रोकना।
- (3) प्रापण प्रक्रिया एवं क्रयादेश, कैलेंडर और वार्षिक मांग के लिए दीर्घकालिक करार पर आधारित होना चाहिए।
- (4) पारदर्शी दो-बोली प्रक्रिया एवं मानक निविदा दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।
- (5) आपूर्ति प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जाए, जिसमें परीक्षण के लिए लगने वाला समय भी सम्मिलित है।
- (6) अदालत के सभी मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है और किसी भी माननीय न्यायालय ने कोई प्रतिकूल निर्णय पारित नहीं किया है।
- (7) सीएमएसएस के लोगो को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया।



प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियां

2.1 शासी निकाय की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, शासी निकाय की 14 बैठकें (48वीं, 49वीं, 50वीं, 51वीं, 52वीं, 53वीं, 54वीं, 55वीं, 56वीं, 57वीं, 58वीं, 59वीं, 60वीं और 61वीं) 9 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020, 25 जून 2020, 24 जुलाई 2020, 27 अगस्त 2020, 5 नवम्बर 2020, 17 नवम्बर 2020, 4 दिसम्बर 2020, 9 दिसम्बर 2020, 11 दिसम्बर 2020, 3 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2021 और 5 मार्च 2021 को आयोजित की गई। इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्राप्ति सम्बंधी निर्णय लिए गए :-

- एफडब्ल्यूपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 45.06 करोड़
- एनवीबीडीसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 463.30 करोड़
- एनटीईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 893.47 करोड़
- एनएसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 1341.76 करोड़
- एनवीएचसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 80.29 करोड़
- यूआईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 253.72 करोड़
- कोविड उपकरण खरीद (ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र) के लिए कुल मूल्य रु. 259.49 करोड़
- आरसीएच कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 40.30 करोड़
- सीडीएससीओ कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 9.11 करोड़

2.2 भंडारगृहों का कार्यकलाप

वर्तमान में राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देशभर के विभिन्न स्थानों पर 20 भंडारगृह हैं। ये वेयरहाउस, केंद्रीय भंडारगृह निगम (सीडब्ल्यूसी) से भाड़े पर अनुबंध के आधार पर लिए गए हैं। भंडारगृहों को उपयुक्त तरीके से नवीनीकृत किया गया है और इन्हें अच्छी भंडारण स्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।

2.3 आई0 टी0 सॉफ्टवेयर

ई-औषधि आईटी सॉफ्टवेयर को सीएमएसएस की आवश्यकता के अनुसार सीडैक द्वारा अनुकूलित करवाया गया है। अब ये ई-औषधि सॉफ्टवेयर पूर्णतया सक्रिय है। सभी लेन-देन और खरीदारी को आईटी- चालित बनाया गया है जैसे खरीद आदेश जारी करना, आपूर्ति रसीद, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करने और इस प्रकार देरी और मानवीकृत त्रुटियों को समाप्त कर दिया गया है।


2.4 भंडारगृहों में स्टॉफ

प्रत्येक वेयरहाउस में फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट और डीईओ की 3 सदस्यीय टीम द्वारा प्रबंधन किया जाता है। वर्तमान में 20 भंडारगृहों में अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या 60 है।



रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1 - खण्ड 1
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2013

संख्या एस-12012/59/2011-ई पी डब्ल्यू-सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र वस्तुओं के प्रभावी प्रापण और वितरण के लिए, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर एक पूर्णतः स्वायत्त केंद्रीय प्रापण एजेंसी (सी पी ए) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

2. तदनुसार केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 22 मार्च 2012 को पंजीकरण संख्या एस/094/2012 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110011 में है।

3. सीएमएसएस स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें 50 स्थलों पर गोदामों सहित एक आईटी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. सीएमएसएस का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की आपूर्ति बनी रहे।

5. सीएमएसएस प्रापण के लिए दो-बोली व्यवस्था (टू बिड सिस्टम) की एक पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सीएमएसएस द्वारा लिए जाएंगे। तथापि प्रापण और इसके निष्पादन की निगरानी से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मंत्रालय जिम्मेदार होगा।

6. सीएमएसएस, राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण व्यवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना में भी सहायता करेगा।

केशव देसिराजु, सचिव



शासी निकाय

क्र. सं.	नाम	पद
1	डॉ. मनोहर अगनानी	अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अध्यक्ष शासी निकाय, सी.एम.एस.एस.
2	डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3	श्रीमती वंदना गुरनानी	अपर सचिव और निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4	श्री सुरेश पुरी	महानिदेशक एवं सीईओ, सी.एम.एस.एस.
5	श्री विकास शील	संयुक्त सचिव (आरएनटीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6	श्री लव अग्रवाल	संयुक्त सचिव (पीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7	श्री आलोक सक्सेना	संयुक्त सचिव (एनएसीपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
8	डॉ. निपुन विनायक	संयुक्त सचिव (प्रापण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
9	श्रीमती रेखा शुक्ला	संयुक्त सचिव (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10	श्रीमती प्रीती पंत	संयुक्त सचिव (आरसीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
11	डॉ. वी. जी. सोमानी	डीसीजी (आई) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
12	डॉ. के. एस. सचदेवा	डीडीजी (टीबी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
13	डॉ. नरेश गोयल	डीडीजी (एनएसीओ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
14	डॉ. नीरज ढींगरा	संयुक्त सचिव (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15	डॉ. सिला देव	अतिरिक्त आयुक्त, सीएचडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
16	डॉ. तेजा राम	संयुक्त सचिव (आई/सी) एफडब्लूपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
17	डॉ. संध्या भुल्लर	संयुक्त सचिव, (एनवीएचसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18	श्री डी. वी. के. राव	डीएस (आई/सी) प्रापण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
19	श्री आलोक निगम	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हरियाणा सरकार
20	श्री विक्रम देव दत्त	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार
21	डॉ. पी. उमानाथ	निदेशक, टीएनएमएससीएल, चेन्नई
22	डॉ. नवजोत खोशा	निदेशक (आई/सी), केएमएससीएल, तिरुवनंतपुरम
23	श्री सुरेश चंद गुप्ता	निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान



अ.स.ए.एम.जी.-1/एस.ए.आर./7-21/सी.एम.एस.एस./2021-22/ 779

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Office of the Principal Director of Audit
(Health, Welfare and Rural Development)
Indian Audit and Accounts Department

प्रवीण कुमार सक्सेना
निदेशक (ए.एम.जी.-1)

दिनांक:

आवशय मल्लदध

मैं वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा संस्था, के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूँ।

आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र के जारी होने के 15 दिन की अवधि के भीतर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियाँ यदि कोई हों, दोहरी प्रति में भेज दें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़े पुष्टिकृत समझ लिए जाएंगे।

सादर ।

भवनिष्ठ
प्रवीण सक्सेना
04/11/2022

श्री सुरेश पुरी,
महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी.एम.एस.एस.,
1st एवं 2nd तल, अनेक्सी भवन, इन्डियन
रेड क्रॉस सोसाइटी 1, रेड क्रॉस मार्ग,
नई दिल्ली-110001



Draft Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Central Medical Services Society for the year ended 31 March 2021

We have audited the attached Balance Sheet of the Central Medical Services Society (CMSS), as on 31 March 2021, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted upto the period 2022-23. These financial statements are the responsibility of the management of CMSS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the CMSS, in so far as it appears from our examination of such books.
- iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Current Assets (Schedule-II)- Rs 3283.31 Crore

A.1.1.1 An amount of Rs. 622.59 crore has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs. 6.96 crore (medicines worth Rs 1.57 crore expired in the year 2020-21). As these expired medicines cannot be treated as good to be supplied/sold, are required to be reduced from the inventory. However, no-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.

Similar, issue was raised during the audit of previous year and CMSS replied the CMSS is the custodian of medicines stored at warehouses, the stock of medicines pertains to different programme divisions. The purchase and issue of medicines for consumption are done as per the indent of the programme division.



As stock belongs to respective programme divisions as per Rule 33(4) of GFR 2017 CMSS has reported the respective programme divisions to write off the stock as per the appropriate delegation of authority of MoHFW, After receipt of write off approval CMSS will dispose of good as per the relevant provisions of GFR 2017.

However, scrutiny of records revealed that the responsibility of low is not fixed (whether it is of the CMSS or of the client i.e. Ministry/Departments). Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs. 6.96 crore, overstatement of reserve and surplus by Rs. 6.39 crore and understatement of expenditure by Rs 1.57 crore (if the responsibility rests with CMSS) and overstatement of current liability by Rs 6.96 crore. (if the responsibility rests with client Ministry / Department).

A.1.1.2 An adverse balance of Rs 99712/- has been depicted as 'Warehouse Imprest' in the Schedule – 11B (Loans & Advanced and Other Assets). It is a net figure of Rs 4000/- the imprest given to a warehouse for day to day expenses and Rs 103712/- (expenditure incurred by the warehouses in excess of the imprest given to them) which is payable to them. This resulted into the understatement of Current Assets and Current Liabilities by Rs. 99712/-.

B. Income & Expenditure Account

B.1 An amount of Rs 59.68 crore, has been depicted as income from sales/services during the year. It includes Rs 1.62 crore as management charges on AMC services (3% of the total cost of the AMC services). The AMC services have to be rendered by the vendors from the fourth year to tenth year of the installation after completion of warranty period of three years). As and AMC services are not to be rendered in the current year therefore it cannot be treated as income rather an advance under current liabilities. This resulted into the overstatement of Income and understatement of current liabilities by Rs 1.62 crore.

C. General

C.1 Vouchers have not been prepared in duplicate. Only one copy of the voucher is being prepared and placed in the respective file.

C.2 An amount of Rs 2764.78 crore has been depicted as Sundry Creditors in Schedule-7. But out of this amount, a total of Rs 2292.00 crore has been received as advances from the various Ministries/Departments for procurement of drugs. Thus, these figures should be depicted under the head 'Advance Received' in Schedule-7.

D. Grants-in-aid

The CMSS had received one time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further Grant was received until 2020-21. Out of this Grant, CMSS had Rs 25.47 crore as opening balance on 01.04.2020 and earned interest of Rs 0.69 crore during the year 2020-21. No expenditure was incurred during the year, leaving an unspent balance of Rs 26.16 crore as on 31 March 2021.

For and on behalf of C&AG of India

-Sd-

(Ashok Sinha)

Director General of Audit

(Health Welfare & Rural Development)

Place: New Delhi

Date:



Annexure 1

1. Adequacy of Internal Audit System

The Internal audit of the CMSS for the period 2020-21 was conducted by Chartered Accountant.

2. System of Physical Verification of Cash in hand

The physical verification of Cash in hand was conducted upto 31.03.2020

3. System of Physical verification of Fixed Assets

The physical verification of fixed assets was conducted upto 31.03.2021

4. System of physical verification of Inventory

i. The physical verification of inventory like books and publications, stationery and other consumables was conducted upto 31.03.2020.

ii. Physical verification of Medicines (inventory) was conducted upto 31.03.2021.

5. Regularity in payment of Statutory Dues

As per accounts, no payment for over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2021.



सुरेश पुरी

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

SURESH PURI

Director General & Chief Executive Officer



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

Central Medical Services Society

Ministry of Health and Family Welfare

Government of India

2nd Floor, Vishwa Yuvak Kendra,

Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg,

Chanakyapuri, New Delhi-110021

Tel. : 011-21410850

Email : suresh.puri@gov.in

दिनांक:- ०५.०१.२०२२

आदरणीय महोदय,

मैं वर्ष २०२०-२१ के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के लेखाओ पर ड्राफ्ट पृथक प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

वर्ष २०२०-२१ के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के लेखाओ पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में

सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियां इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ

सुरेश पुरी

सुरेश पुरी

श्री प्रवीण कुमार सक्सेना

निदेशक (ए.एम्.जी.-I)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

नई दिल्ली



S. No.	Draft SAR -Para Refer- ence	Audit Remarks	CMSS Reply
	A. Balance Sheet A.1 Assets.		
1.	A.1.1 Current Assets (Schedule-11A)- Rs. 3283.31 crore.	<p>An amount of Rs. 622.59 crore has been shown as stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs. 6.96 crore (medicines worth Rs. 1.57 crore expired in the year 2020-21). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/sold, are required to be reduced from the inventory. However, non-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.</p> <p>Similar issue was raised during the audit of previous year and CMSS replied that CMSS is the custodian of medicines stored at warehouses, the stock of medicines pertains to different programme division. The purchase and issue of medicines for consumption are done as per the indent of the programme division.</p> <p>As stock belongs to respective programme divisions as per Rule 33(4) of GFR 2017 CMSS has reported the respective programme divisions to write off the stock as per the appropriate delegation of authority of MoHFW. After receipt of write off approval CMSS will dispose of good as per the relevant provisions of GFR 2017.</p> <p>However, scrutiny of the records revealed that the responsibility of loss is not fixed (whether it is of CMSS or of the client Ministry/Departments). Thus, this has resulted in overstatement of current assets by Rs. 6.96 crore, and overstatement of reserve and surplus by Rs. 5.39 crore and understatement of expenditure by Rs. 1.57 crore (if the responsibility rests with the CMSS) and overstatement of current liability by Rs. 6.96 crore. (if the responsibility rests with the client Ministry/Department).</p>	<p>CMSS is the temporary custodian of medicines procured on behalf of programme divisions which are temporarily stored at warehouses. The issue of medicines for consumption are done as and when issue/dispatch request is sent by the programme division. As the stock/medicines belongs to programme divisions, any loss on account of expired stock will rest with the programme divisions.</p> <p>As stock belongs to respective programme divisions as per Rule 33(4) of GFR 2017 CMSS has reported the respective programme divisions to write off the stock as per the appropriate delegation of authority of MoHFW. Further the modalities for disposal stand approved by the governing body of CMSS in its 74th meeting. After receipt of write off approval, CMSS will dispose of goods as per the Bio Medical Waste Management Guidelines 1988/2016 and as per relevant provisions of GFR 2017 and pass necessary entries in the books of accounts.</p> <p>Agreed with the observation and the cumulative accounting impact will be shown accordingly in the accounts of the FY 2021-2022.</p>



2.	<u>A.1.1.2</u>	An adverse balance of Rs. 99,712/- has been depicted as warehouse imprest in the Schedule 11B loans and advances. It is a net figure of Rs. 4,000/- the imprest given to a warehouse for day to day expenses and Rs. 1,03,712/- (expenditure incurred by the warehouses in excess of the imprest given to them) which is payable to them. This resulted in to the understatement of current assets and current liabilities by Rs. 99,712/-.	<p>CMSS has 20 warehouses all over the country, the amount shown here is the cumulative position of all the warehouses taken together. Imprest given to warehouse is in the nature of advances given for the day to day expenditure incurred by the respective warehouses. After incurring expenditure the details of the same expenses are adjusted with advances given to the concerned warehouse. The net of advance was shown as debit balance till Feb.' 21. In the month of March'21 all the expenses incurred by the respective warehouse was booked and the differential amount was paid in the April'2021 month of the next financial year. The net advance as on 30.04.2021 was also shown as debit balance.</p> <p>CMSS will keep note of the same aspect and accordingly it will be taken care of in the accounts of the next FY 2021-2022.</p>
B.	Para B. Income and Expenditure		
3.	<u>B.1</u>	An amount of Rs. 59.68 crore, has been depicted as income from sales/ services during the year. Includes Rs. 1.62 crore as management charges on AMC services (3% of the total cost of the AMC services). The AMC services have to be rendered by the vendors from the fourth year to tenth year of the installation after completion of warranty period of three years). As any AMC services are not to be rendered in the current year therefore it cannot be treated as income rather an advance under current liabilities. This resulted into the overstatement of Income and understatement of current liabilities by Rs. 1.62 crore.	<p>CMSS being a Central Procurement Agency (CPA) of MoHFW is concerned with the overall responsibility of supply, installation, testing & commissioning of the PSA Oxygen Plants. In this particular case, the supply and installation of PSA oxygen plants with 3 year warranty is under the scope of CMSS. The AMC for 7 years (i.e. from 4th to 10th year) as per the tender terms and condition the same is to be managed by the respective state governments. CMSS management charges are calculated on the total contract cost.</p> <p>As CMSS has completed its scope the Administration charges on the entire contract cost including AMC cost has been has been recognised as revenue. Further to update that the all the PSA plants installation was completed by Oct. 2021.</p>
C	Audit Point under Para-C General		
	C.1	Vouchers have not been prepared in duplicate. Only one copy of the voucher is being prepared and placed in the respective file.	Agreed: The point is noted. However CMSS is keeping the records of all the service rendered, payments, and expenditure incurred etc. in hard copy in the respective file.
	C.2	An amount of Rs. 2,764.78 crore has depicted as Sundry Creditors in Schedule-7. But out of this amount, a total of Rs. 2,292.00 crore has been received as advances from the client Ministries/departments for procurement of drugs. These figures should be depicted as Advance received (Schedule-7. A.2)	<p>Agreed: The point is noted the necessary correction will be done as suggested.</p> <p>This would not have any financial impact on the Balance Sheet.</p>



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

D	<u>Audit Point under Para-D. Grants-in-aid</u>	The CMSS has received one time Grant-in-aid (non-recurring) of Rs 50.00 Crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 & no further Grant was received until 2019-20. Out of this Grant, CMSS had Rs 25.47 crore as opening balance as on 01.04.2020 and earned interest of 0.69 crore during the year 2020-21. No expenditure from the balance Grant Fund was incurred during the year, leaving an unspent balance of Rs. 26.16 crore as on 31st March 2021.	Grant in Aid: - Point is informative and doesn't require any clarification or reply.
---	---	---	---

For Central Medical Services Society

Suresh Puri
DG & CEO



क्रमांक संख्या	मसौदा : एसएआर – पैरा संदर्भ	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	सीएमएसएस का उत्तर
	अ. तुलन-पत्र अ.1 सम्पत्तियाँ		
1.	अ.1.1 वर्तमान संपत्ति (अनुसूची-11ए) – रु. 3283.31 करोड़।	<p>622.59 करोड़ रुपये की राशि को मौजूदा परिसंपत्तियों में व्यापार में स्टॉक के रूप में दिखाया गया है। इसमें एक्सपायरी हो चुकी दवाओं की कीमत 6.96 करोड़ रुपये शामिल है। (वर्ष 2020-21 में 1.57 करोड़ रुपये की दवाओं की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी)। चूंकि इन एक्सपायर्ड दवाओं को आपूर्ति / बिक्री के लिए माल के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए इन्हें वस्तुसूची से कम करना आवश्यक है। हालांकि, स्टॉक से एक्सपायर्ड दवा के मूल्य में कमी न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक दिखाया गया है।</p> <p>इसी तरह का मुद्दा पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान उठाया गया था और सीएमएसएस ने उत्तर दिया कि सीएमएसएस गोदामों में संग्रहीत दवाओं का संरक्षक है, दवाओं का स्टॉक विभिन्न कार्यक्रम प्रभाग से संबंधित है। उपभोग के लिए दवाओं का क्रय एवं निर्गम कार्यक्रम प्रभाग के मांगपत्र के अनुसार किया जाता है।</p> <p>चूंकि स्टॉक जीएफआर 2017 के नियम 33(4) के अनुसार संबंधित कार्यक्रम प्रभाग से संबंधित है, इसलिए सीएमएसएस ने संबंधित प्रोग्राम डिवीजनों को एमओएचएफडब्ल्यू के प्राधिकरण के उपयुक्त प्रतिनिधिमंडल के अनुसार स्टॉक को बड़े खाते में डालने की सूचना दी है। बड़े खाते में डालने की मंजूरी मिलने के बाद सीएमएसएस जीएफआर 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार माल का निपटान करेगा।</p>	<p>सीएमएसएस, कार्यक्रम प्रभाग की ओर से प्रापण की गई दवाओं का अस्थायी संरक्षक है जो अस्थायी रूप से गोदामों में संग्रहीत करता है। उपभोग के लिए दवाओं का निर्गमन तब किया जाता है जब कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जारी/ प्रेषण अनुरोध भेजा जाता है। चूंकि स्टॉक/दवाएं कार्यक्रम प्रभागों से संबंधित हैं, इसलिए समाप्त हो चुके स्टॉक के कारण होने वाली कोई भी हानि कार्यक्रम प्रभागों की होगी।</p> <p>चूंकि स्टॉक जीएफआर 2017 के नियम 33(4) के अनुसार संबंधित कार्यक्रम प्रभागों से संबंधित है, इसलिए सीएमएसएस ने संबंधित कार्यक्रम प्रभागों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्राधिकरण के उपयुक्त प्रतिनिधिमंडल के अनुसार स्टॉक को बड़े खाते में डालने की सूचना भेज दी गई है। इसके अलावा निपटान के तौर-तरीकों को सीएमएसएस के शासी निकाय ने अपनी 74वीं बैठक में अनुमोदित किया है। बड़े खाते में डालने की मंजूरी मिलने के बाद, सीएमएसएस बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस 1988/2016 के अनुसार और जीएफआर 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार माल का निपटान करेगा और खातों की किताबों में आवश्यक प्रविष्टियां देगा।</p> <p>अवलोकन से सहमत और संचयी लेखा प्रभाव वित्त वर्ष 2021-2022 के खातों में तदनुसार दिखाया जाएगा।</p>



		<p>तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि हानि की जिम्मेदारी निश्चित नहीं है (चाहे वह सीएमएसएस की हो या ग्राहक मंत्रालय/ विभागों की)। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों का रु. 6.96 करोड़, और आरक्षित और अधिशेष को रु. 5.39 करोड़ और व्यय को रु. 1.57 करोड़ (यदि जिम्मेदारी सीएमएसएस के पास है) और वर्तमान देयता को रु. 6.96 करोड़ दिखाया गया है। (यदि उत्तरदायित्व ग्राहक मंत्रालय/ विभाग के पास है)।</p>	
2.	अ.1.1.2	<p>99,712/- रुपये के प्रतिकूल शेष को अनुसूची 11बी ऋणों और अग्रिमों में गोदाम अग्रदाय के रूप में दर्शाया गया है। यह रुपये का शुद्ध आंकड़ा है जो की रु. 4,000/- एक गोदाम को दिन-प्रतिदिन के खर्च के लिए दिया गया अग्रदाय है और रु. 1,03,712/- (भंडारों द्वारा उन्हें दिए गए अग्रदाय से अधिक व्यय) जो उन्हें देय है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियों को रुपये 99,712/- से कम करके आंका गया है।</p>	<p>सीएमएसएस के पूरे देश में 20 गोदाम हैं, यहां दिखाई गई राशि सभी गोदामों की संचयी स्थिति है। गोदाम को दिया गया अग्रदाय संबंधित गोदामों द्वारा किए गए दैनिक व्यय के लिए दिए गए अग्रिम के रूप में है। खर्च करने के बाद उसी खर्च का विवरण संबंधित गोदाम को दिए गए अग्रिम के साथ समायोजित किया जाता है। फरवरी '21 तक अग्रिम का नेट डेबिट बैलेंस के रूप में दिखाया गया था। मार्च '21 के महीने में संबंधित गोदाम द्वारा किए गए सभी खर्चों को बुक किया गया था और अंतर राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल '2021 महीने में किया गया था। 30.04.2021 की स्थिति के अनुसार निवल अग्रिम को भी नामे शेष के रूप में दर्शाया गया था।</p> <p>सीएमएसएस उसी पहलू का ध्यान रखेगा और उसके अनुसार अगले वित्त वर्ष 2021-2022 के खातों में इसका ध्यान रखा जाएगा।</p>
ब.	पैरा ब : आय और व्यय		



3.	ब.1	59.68 करोड़ रुपये की राशि को वित्त वर्ष के दौरान बिक्री/सेवाओं से आय के रूप में दर्शाया गया है। इसमें प्रबंधन शुल्क के रूप में 1.62 करोड़ रुपये शामिल हैं जो कि एएमसी सेवाओं पर वसूल किया गया है (एएमसी सेवाओं की कुल लागत का 3%)। तीन साल की वारंटी अवधि पूरी होने के बाद स्थापना के चौथे वर्ष से दसवें वर्ष तक विक्रेताओं द्वारा एएमसी सेवाएं प्रदान की जानी हैं। चूंकि कोई भी एएमसी सेवाएं चालू वर्ष में प्रदान नहीं की जानी हैं, इसलिए इसे आय के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि वर्तमान देनदारियों के तहत अग्रिम के रूप में माना जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप रु. 1.62 करोड़ आय की अधिकता और वर्तमान देनदारियों की कमी को दिखाया गया है।	सीएमएसएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) होने के नाते PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की समग्र जिम्मेदारी से संबंधित है। इस विशेष मामले में, 3 साल की वारंटी के साथ पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की आपूर्ति और स्थापना सीएमएसएस के दायरे में है। निविदा नियम और शर्तों के अनुसार 7 वर्षों (अर्थात् चौथे से 10 वें वर्ष तक) के लिए एएमसी का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। सीएमएसएस प्रबंधन शुल्क की गणना कुल अनुबंध लागत पर करता है। चूंकि सीएमएसएस ने अपना दायरा पूरा कर लिया है, इसलिए एएमसी लागत सहित संपूर्ण अनुबंध लागत पर प्रशासन शुल्क को राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है। आगे अद्यतन करने के लिए कि सभी पीएसए संयंत्रों की स्थापना अक्टूबर 2021 तक पूरी कर ली गई थी।
स	पैरा-स के तहत सामान्य : लेखापरीक्षा बिंदु		
	स.1	वाउचर दो प्रतियों में तैयार नहीं किए गए हैं। वाउचर की केवल एक प्रति तैयार की जा रही है और संबंधित फाइल में रखी जा रही है।	सहमत: बिंदु नोट किया गया है। हालांकि, सीएमएसएस द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं, भुगतानों और किए गए व्यय आदि का रिकॉर्ड संबंधित फाइल में हार्ड कॉपी में रखा जा रहा है।
	स.2	2,764.78 करोड़ रुपये की राशि अनुसूची -7 में विविध लेनदारों के रूप में दर्शायी गयी है। लेकिन इस राशि में से कुल 2,292.00 करोड़ रुपये दवाओं की खरीद के लिए ग्राहक मंत्रालयों/विभागों से अग्रिम के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों को अग्रिम प्राप्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए (अनुसूची-7.ए2)	सहमत: बिंदु नोट कर लिया है। सुझाव के अनुसार आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा। इसका तुलन - पत्र पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।



ड	पैरा-ड के तहत लेखा परीक्षा बिन्दु :	अनुदान सहायता :- सीएमएसएस को वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 50.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त सहायता अनुदान (गैर-आवर्ती) प्राप्त हुआ है और 2019-20 तक कोई और अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। इस अनुदान में से, सीएमएसएस के पास 01.04.2020 तक प्रारंभिक शेष के रूप में 25.47 करोड़ रुपये थे और वर्ष 2020-21 के दौरान 0.69 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष के दौरान शेष अनुदान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था, 31 मार्च 2021 तक 26.16 करोड़ रुपये शेष है।	अनुदान सहायता :- ये बिंदु केवल सूचना के लिए है और इसके लिए किसी स्पष्टीकरण या उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।
---	-------------------------------------	--	---

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी के लिए

सुरेश पुरी
डीजी और सीईओ



अ.श.प्र.स.ए.एम.जी./सी.एम.एस.एस./7-21/2021-22/837



कार्यालय :- महानिदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Office of the Principal Director of Audit
(Health, Welfare and Rural Development)
Indian Audit and Accounts Department

प्रवीण कुमार सक्सेना
निदेशक

दिनांक:

आदरणीय महोदय,

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गयी है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, इस कार्यालय के पत्र संख्या: ए.एम.जी./सी.एम.एस.एस./7-21/2021-22/837 दिनांक: 31/01/22 को जारी किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान, कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में, दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

सादर,

अनुलग्नक: यथोपरि,

आपका शुभेच्छु,

प्रवीण सक्सेना
31/01/2022

श्री सुरेश पुरी
महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, प. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग,
चाणक्य पुरी, नई दिल्ली, -110021



Annexure to D.O. letter No. AMG-I/SAR/CMSS/7-21/2021-22/838

1. An adverse balance of Rs 99712/- has been depicted as 'Warehouse Imprest' in the Schedule – 11B (Loan & Advances and Other Assets). It is a net figure of Rs. 4000/- the imprest given to a warehouse for day to day expenses and Rs. 103712/- (expenditure incurred by the warehouses in excess of the imprest given to them) which is payable to them. This resulted into the understatement of Current Assets and Current Liabilities by Rs. 99712/-
2. Vouchers have not been prepared in duplicate. Only one copy of the voucher is being prepared and placed in the respective file.



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Director General of Audit (Health, Welfare and Rural Development)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

संख्या: ए.एम.जी./ सी.एम.एस.एस./7-21/2021-22/

दिनांक:

सेवामें,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001.

विषय : वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति
उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न
करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत
किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल
उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए।


कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के
समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित
अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2020-21 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं
लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं
लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके
निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते
समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद
है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि


(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)



संख्या: ए.एम.जी.।/ सी.एम.एस.एस./7-21/2021-22/ 837

दिनांक:

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री सुरेश पुरी, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था, स्वस्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, प. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली, -110021, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

प्रवीण सक्सेना
31/11/2022
(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

संख्या: ए.एम.जी.।/ सी.एम.एस.एस./7-21/2021-22/

दिनांक:

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

सक्सेना
(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Central Medical Services Society for the year ended 31 March 2021**

We have audited the attached Balance Sheet of the Central Medical Services Society (CMSS), as on 31 March 2021, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted upto the period 2022-23. These financial statements are the responsibility of the management of CMSS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the CMSS, in so far as it appears from our examination of such books.
- iv. We further report that:

A. Balance Sheet**A.1 Assets****A.1.1 Current Assets (Schedule-II)- Rs 3283.31 Crore**

A.1.1.1 An amount of Rs. 622.59 crore has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs. 6.96 crore (medicines worth Rs 1.57 crore expired in the year 2020-21). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/sold, these are required to be reduced from the inventory. However, no-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.

Similar, issue was raised during the audit of previous year also.

The responsibility of loss is not fixed (whether it is of the CMSS or of the client i.e. Ministry/Departments). Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs. 6.96 crore, overstatement of reserve and surplus by Rs. 5.39 crore and understatement of expenditure by Rs. 1.57 crore (if the responsibility rests with CMSS) and overstatement of current liability by Rs. 6.96 crore. (if the responsibility rests with client Ministry / Department).

B. Income & Expenditure Account

B.1 An amount of Rs 59.68 crore, has been depicted as income from sales/services during the year. It includes Rs 1.62 crore as management charges on AMC services (3% of the total cost of the AMC services). As per CMSS, the AMC for remaining seven out of 10 years was not under its scope. Hence, charging of administrative charges on AMC cost was not appropriate. This resulted into overstatement of Income and understatement of current liabilities by Rs 1.62 crore.



C. General

C.1 An amount of Rs 2764.78 crore has been depicted as Sundry Creditors in Schedule-7. But out of this amount, a total of Rs 2292.00 crore has been received as advances from the various Ministries/Departments for procurement of drugs. Thus, these figures should be depicted under the head 'Advance Received' in Schedule-7.

C.2 The provision of retirement benefit was not made as per Actuarial valuation as prescribed in AS 15.

D. Grants-in-aid

CMSS had received one time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further grant was received until 2020-21. Out of this Grant, CMSS had Rs 25.47 crore as opening balance on 01.04.2020 and earned interest of Rs 0.69 crore during the year 2020-21. No expenditure was incurred during the year, leaving an unspent balance of Rs 26.16 crore as on 31 March 2021.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of CMSS through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

i. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

ii. In our opinion and to the best of our information and accordingly to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Central Medical Services Society as at 31 March 2021; and

b. In So far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

(Ashok Sinha)

Principal Director of Audit

(Health Welfare & Rural Development)

Place: New Delhi

Date:



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

BALANCE SHEET As at 31st March'2021

(Amount in Rupees)

Particulars	Schedule	2020-21	2019-20
<u>Corpus/Capital Fund and Liabilities</u>			
Corpus/Capital Fund	1	1,84,31,62,614	1,40,33,93,770
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
UnSecured Loans and Borrowings	4	-	-
Deffered Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	31,05,28,11,317	23,62,06,26,459
Total		32,89,59,73,931	25,02,40,20,228
<u>Assets</u>			
Fixed Assets	8	6,29,16,976	6,78,64,730
Investments- From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investment- Others	10	-	-
Current Assets, Loans Advances Etc.	11	32,83,30,56,956	24,95,61,55,498
Miscellaneous Expenditure		-	-
(To the Extent not written off or Adjusted)		-	-
Total		32,89,59,73,932	25,02,40,20,228
Schedules referred to above form an intergral part of Balance Sheet			
As per our report of even date attached			


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY


An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

As at 31st March' 2021

(Amount in Rupees)

Particulars	Schedule	2020-21	2019-20
Income			
Income from Sales/Services	12	59,68,13,196	1,10,21,54,447
Value of Goods Transferred to NVBDCP	25	7,43,34,99,032	1,82,23,86,929
Value of Goods Transferred to Department of Family Planning (FWP)	25	71,51,52,595	46,81,76,975
Value of Goods Transferred to NTEP (RNTCP)	25	11,80,02,14,160	7,66,41,68,788
Value of Goods Transferred to NACO	25	6,63,16,85,952	4,13,96,07,847
Value of Goods Transferred to NVHCP	25	70,74,03,251	63,47,22,951
Value of Goods Transferred to CAPF	25	-	9,02,12,075
Value of Goods Transferred to UIP	25	55,71,50,084	2,16,23,360
Value of Goods Transferred to CDSCO	25	2,27,90,373	-
Value of Goods Transferred to CHD	25	6,46,30,722	-
Value of Goods Transferred to PSA Medical Oxygen Plant	25	40,28,43,909	-
Value of Goods Transferred to JSR Oxygen Cylinders	25	65,61,45,797	-
Grants/Subsidies	13	-	-
Fees/Subscription	14	-	-
Income from Investments	15	-	-
Income From Royalty, Publication, etc.		-	-
Interest Earned	17	4,90,57,284	4,10,94,618
Other Income	16	65,58,527	-
Increase/(Decrease) in stock of Finished Goods and Work-in-Progress	19	-94,88,80,132	2,77,92,21,820
Transportation charges reversible for 2017-18		-	56,29,894
Transportation charges reversible for 2018-19		-	2,07,26,223
Total - A		28,69,50,64,750	18,78,97,25,927


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

Expenditures			
Purchase of Goods on behalf of NVBDCP	24	5,03,52,39,356	3,87,77,73,790
Purchase of Goods on behalf of Department of Family Planning (FWP)	24	45,20,20,801	40,98,34,474
Purchase of Goods on behalf of NTEP (RNTCP)	24	12,05,47,23,331	8,18,05,40,547
Purchase of Goods on behalf of NACO	24	7,54,70,56,938	4,05,80,86,377
Purchase of Goods on behalf of NVHCP	24	96,46,68,085	86,97,37,794
Purchase of Goods on behalf of UIP	24	51,12,84,661	13,39,35,688
Purchase of Goods on behalf of CAPF	24	-	9,02,12,075
Purchase of Goods on behalf of CDSCO	24	2,27,90,373	-
Purchase of Goods on behalf of CHD	24	7,94,62,157	-
Purchase of Goods on behalf of PSA Medical Oxygen Plant	24	65,57,13,812	-
Purchase of Goods on behalf of JSR Oxygen Cylinders	24	44,13,36,699	-
Prior Period Purchase	24	27,83,39,531	-
Establishment & Administrative Expenses	20	20,30,13,988	20,89,24,368
Operative Expenses	21	-	-
Expenditure on Grants, Subsidies Etc.	22	-	-
Interest Expenses	23	-	-
Depreciation (Corresponding to Schedule 8)	8	96,46,174	1,07,53,918
Security Forfeiture due to NVBDCP for the year 2018-19		-	47,86,625
Interest to be transferred to Programmes		-	67,95,33,392
Total - B		28,25,52,95,905	18,52,41,19,049
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		43,97,68,844	26,56,06,879


GAURAV CHOUDHARY
 AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
 GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
 DG & CEO, CMSS



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT As at 31st March'2021

(Amount in Rupees)

Receipts	2020-21	2019-20	Payments	2020-21	2019-20
I. Opening Balances			I. Establishment & Administrative Expenses	18,89,39,639	21,95,75,709
a) Cash in Hand	8,341	8,341	II. Transportation Charges	5,33,05,571	3,44,35,598
b) Bank Balances			III. Testing Expenses	6,44,03,118	7,01,04,564
SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	23,33,66,681	32,69,55,655	IV. Investment- Others	30,18,03,89,134	20,24,49,89,868
IDBI SB A/c No. 0127104000022163	5,61,727	5,42,181	V. EMD / SD & Performance Guarantee Refunded	10,09,25,317	5,72,56,664
SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	75,922	-	VI. Refund to Programme (Un-utilized Funds)	-	13,23,82,029
II. Interest Received			VII. Duties & Taxes	42,06,16,739	26,72,62,553
Term Deposit	67,31,32,094	32,63,47,639	VIII. Fixed Assets Purchased/ Capitalised	17,33,474	-
Saving Bank Account	1,52,36,902	3,05,27,418	IX. Purchase of Medicines and Medical Devices	21,84,54,52,019	16,22,74,51,666
III Other Receipts			X. Loans & Advances	49,14,828	-
Scrap Sale & Misc. Receipts	8,525	-	XI. Closing Balances		
FDR/Flexi Encashment	23,22,24,03,735	12,00,20,06,886	a) Cash in Hand	8,341	8,341
Performance/Security Deposits	-	2,80,45,943	b) Bank Balances		
Other Receipts (Income Tax Refund)	6,86,04,960	-	SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	1,59,24,87,556	23,33,66,681
Other Receipts (Indian Red Cross Society)	28,54,527	20,75,288	IDBI SB A/c No. 0127104000022163	5,79,603	5,61,727
IV. Earnest Money Deposits	5,28,50,757	2,70,81,892	SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	16,565	75,922
V. Procurement Funds from Programme			SBI CHD, A/c No. 40049381344	4,55,87,134	
Assam Rifles	-	67,08,097	SBI FWP, A/c No. 39923834554	18,00,287	
BSF	-	1,58,08,296	SBI NACO, A/c No. 39924350550	80,31,748	
CISF	-	1,52,22,952	SBI NTEF, A/c No. 39924196110	14,03,342	
CRPF	-	3,31,54,539	SBI NVBDCP, A/c No. 39923991528	14,21,98,587	
CDSCO	-	10,04,30,400	SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	1,68,350	
ITBP	-	77,50,971	SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	1,85,36,214	
SSB	-	1,15,67,221	SBI UIR, A/c No. 39923801992	2,39,18,937	
National Vector Borne Disease Control Programme	4,48,96,95,766	4,59,69,67,806			
Department of Family Planning (FWP)	38,40,56,605	17,55,06,833			
National Aids Control Programme (NACO)	9,46,98,76,442	6,56,21,46,486			
National Tuberculosis Elimination Programme (RNTCP)	11,26,65,73,935	12,72,84,21,534			
National Viral Hepatitis Control Programme	33,36,77,022	23,95,87,356			
Universal Immunisation Programme	1,64,81,13,607	25,06,07,589			
Child Health Development	14,92,37,888	-			
JSR Oxygen Cylinder	66,92,42,282	-			
PM CARES Fund	2,01,58,38,785	-			
Total	54,69,54,16,503	37,48,74,71,322	Total	54,69,54,16,503	37,48,74,71,322



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March' 2021

SCHEDULE 1: CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount in Rupees)

Particulars	2020-21	2019-20
A. Balance of Initial Grant from MoH&FW at the beginning of the Year	25,47,47,035	24,58,66,812
B. Add: Interest for the year 2020-21	68,78,170	88,80,224
C. CMSS Internal Accrual Corpus balance at the beginning of the Year	1,14,86,46,735	88,30,39,855
D. Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-	-
E. Add: Net Balance of Income and Expenditure A/c (Excluding Interest on Initial Grant B above)	43,28,90,674	26,56,06,879
BALANCE AT THE YEAR END	1,84,31,62,614	1,40,33,93,770

SCHEDULE 2: RESERVES AND SURPLUS

(Amount in Rupees)

Particulars	2020-21	2019-20
1) Capital Reserve		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
2) Revaluation Reserve		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
3) Special Reserve		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
4) General Reserve		
As per last account	-	-
Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-


GAURAV CHOUDHARY
 AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
 GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
 DG & CEO, CMSS



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2021

SCHEDULE 3: EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		Fund Based Break Up				Totals	
		One Time Grant	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	2020-21	2019-20
A)	Opening Balance of the Funds						
B)	Addition to the Funds						
i)	Donation/Grants	-	-	-	-	-	-
ii)	Income from Investment made on account of Funds	-	-	-	-	-	-
iii)	Other Additions/deductions (Surplus/deficit Trfd. From Inc. & Exp.)						
	TOTAL (A+B)	-	-	-	-	-	-
C)	Utilization/Expenditure towards Objectives of Funds						
i)	Capital Expenditure						
	Fixed Assets	-	-	-	-	-	-
	Others	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-
ii)	Revenue Expenditure						
	Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-
	Rent	-	-	-	-	-	-
	Other administrative expenses	-	-	-	-	-	-
	TOTAL C						
	NET BALANCE AS AT YEAR END (A+B+C)	-	-	-	-	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2021

SCHEDULE 4: SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
1)	Central Government	-	-
2)	State Government (Specify)	-	-
3)	Financial Institutions		
a)	Term Loan	-	-
b)	Interest Accrued and Due	-	-
4)	Banks		
a)	Term Loan	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
b)	Other Loans (Specify)	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
5)	Other Institutions and Agencies	-	-
6)	Debenture and Bonds	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 5: UNSECURED LOANS AND BORROWINGS


(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
1)	Central Government	-	-
2)	State Government (Specify)	-	-
3)	Financial Institutions		
a)	Term Loan	-	-
b)	Interest Accrued and Due	-	-
4)	Banks		
a)	Term Loan	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
b)	Other Loans (Specify)	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
5)	Other Institutions and Agencies	-	-
6)	Debenture and Bonds	-	-
7)	Fixed Deposit	-	-
8)	Other (Specify)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 6: DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
1)	Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2)	Others (Security Deposit of Electrical & Civil Work)	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
 AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
 GM-FINANCE, CMSS



SURESH PURI
 DG & CEO, CMSS

**CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY**

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET**As at 31st March' 2021****SCHEDULE 7: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS****(Amount in Rupees)**

Particulars		2020-21	2019-20
A)	CURRENT LIABILITIES		
1)	Sundry Creditors		
	a) For Goods	4,72,20,92,186	4,19,66,40,594
	b) For Others	56,94,533	57,62,275
	c) CDSCO	7,59,08,522	10,04,30,400
	d) FWP	41,33,63,296	47,88,51,618
	e) NACO	6,72,87,40,871	2,27,50,75,345
	f) NVBDCP	17,30,87,777	2,78,40,13,434
	g) NVHCP	36,09,90,472	49,18,95,904
	i) PAO Assam Rifles	-	64,50,093
	i) PAO BSF	-	1,51,99,745
	i) PAO CISF	-	1,46,37,017
	j) PAO CRPF	-	3,18,79,075
	j) PAO ITBP	-	74,46,772
	j) PAO SSB	-	1,11,22,218
	k) RNTCP	12,10,33,24,550	10,65,24,48,255
	l) UIP	1,37,15,01,834	24,63,94,248
	m) CHD	7,88,67,246	-
	n) JSR Oxygen Cylinder	12,26,569	-
	o) PM Cares Fund	1,61,29,94,876	-
2)	Advances Received		
3)	Interest Accrued but not due on :		
	a) Secured Loans/Borrowings	-	-
	b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
4)	Statutory Liabilities :		
	a) Overdue	-	-
	b) Others	-	-
5)	Other Current Liabilities		
	Earnest Money Deposit-IP	2,64,93,805	1,40,52,120
	Earnest Money Deposit-Other	49,33,779	70,55,579
	Security Deposit (Civil & Electrical work)	12,500	12,500
	Liquidated Damages-Purchase	6,52,91,470	6,52,91,470


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS



SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

	Liquidated Damages-Lab Testing	8,46,665	7,56,046
	Sampling & Testing Advance	10,42,38,378	5,67,26,309
	Liquidated Damages	1,06,62,39,926	63,10,20,601
	Performane Guarantee	5,87,001	27,46,732
	Security Deposit	4,45,99,239	7,71,70,312
	Warehouse Imprest	-	-
	Tour Expenses Payable	-	-
	Salary Payable- Deputation	-	-
	Union Subscription- Suresh Puri, OSD/CMSS	-	-
	Other Deductions	40,611	60,611
	Lab Testing Funds	-	-
	Interest Payable to various Programmes	2,01,12,23,298	1,37,08,25,406
	TOTAL - A	30,97,22,99,403	23,54,39,64,678
B)	STATUTORY LIABILITIES		
	TDS - IT - Payable	12,78,516	18,86,471
	TDS (IT)	5,685	17,72,706
	RCM-GST Payable	4,94,453	8,215
	GST TDS-Payable	6,61,13,941	5,76,18,709
	TOTAL-B	6,78,92,596	6,12,86,101
C)	PROVISIONS		
	Audit Fee	1,17,400	4,54,000
	Cab Hiring Charges	1,77,610	1,58,445
	Electricity Charges	1,18,683	37,496
	Printing & Stationery	-	72,052
	Leave Encashment Payable	17,58,228	12,03,232
	Gratuity Payable	28,33,119	26,98,046
	Telephone & Internet Expenses	24,696	24,696
	Warehouse Rent Payable	-	28,59,962
	Manpower Outsource Charges	18,61,975	18,28,609
	Internal Audit Payable	1,62,840	2,15,400
	Data Hosting Charges (C-DAC Charges) Payable	55,64,768	58,23,742
	TOTAL - C	1,26,19,318	1,53,75,679
	TOTAL (A+B+C)	31,05,28,11,317	23,62,06,26,459


GAURAV CHOUDHARY
 AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
 GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
 DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuva Kendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi

(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2021

SCHEDULE 8: FIXED ASSETS

(Amount in Rupees)

Description	GROSS BLOCK						DEPRECIATION				NET BLOCK	
	WDV as on 01-04-2020	Additions During the year for more than 180 days	Additions During the year for Less than 180 days	Deletion during the Year	Depreciation Rate	Depreciation Charged on Opening WDV	On Additions During the year for more than 180 days	On Additions During the year for Less than 180 days	On Deduction during the year	Total Depreciation	As at the Current year end	As at the Previous year end
A. FIXED ASSETS												
1 LAND												
Free Hold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lease Hold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 BUILDING												
On Free Hold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On Lease Hold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superstructures on Land not belonging to Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil Renovation Work	33,53,756	31,59,882	-	-	10%	3,35,376	3,15,988	-	-	6,51,364	58,62,274	33,53,756
CWIP (Warehouse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CWIP (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil & Electrical Work (WH)	2,42,86,201	-	-	-	10%	24,28,620	-	-	-	24,28,620	2,18,57,581	2,42,86,201
3 PLANT & MACHINERY & EQUIPMENTS												
4 VEHICLES												
5 FURNITURE & FIXTURES												
Centre Table	4,10,490	-	-	-	10%	41,049	-	-	-	41,049	3,69,441	4,10,490
Chair (Plastic)	474	-	20,016	-	10%	47	-	1,001	-	1,048	19,442	474
Chairs	8,52,173	-	-	-	10%	85,217	-	-	-	85,217	7,66,956	8,52,173



	Conference Table	1,49,083	-	-	-	10%	14,908	-	-	-	14,908	1,34,175	1,49,083
	Glass Boards	11,770	-	-	-	10%	1,177	-	-	-	1,177	10,593	11,770
	Pin up Boards	19,505	-	-	-	10%	1,950	-	-	-	1,950	17,554	19,505
	Side Table	2,01,057	-	-	-	10%	20,106	-	-	-	20,106	1,80,951	2,01,057
	Sofa Set	1,04,669	-	-	-	10%	10,467	-	-	-	10,467	94,202	1,04,669
	Steel Almirah	3,04,799	-	-	-	10%	30,480	-	-	-	30,480	2,74,319	3,04,799
	Steel Table	98,722	-	-	-	10%	9,872	-	-	-	9,872	88,850	98,722
	Table (Plastic)	1,577	-	-	-	10%	158	-	-	-	158	1,420	1,577
	Tender Box	1,329	-	-	-	10%	133	-	-	-	133	1,196	1,329
	Wooden Table	4,733	-	-	-	10%	473	-	-	-	473	4,260	4,733
	Warehouse Furniture	4,82,821	-	-	-	10%	48,282	-	-	-	48,282	4,34,539	4,82,821
	Wooden Almirah	-	10,400	-	-	10%	-	1,040	-	-	1,040	9,360	4,82,821
6	OFFICE EQUIPMENT												
	A.C. 1.5 (Invertor)	6,96,966	-	-	-	15%	1,04,545	-	-	-	1,04,545	5,92,421	6,96,966
	A.C. 2.0 (Invertor)	10,50,465	-	-	-	15%	1,57,570	-	-	-	1,57,570	8,92,895	10,50,465
	Angle Racks	62,900	-	-	-	15%	9,435	-	-	-	9,435	53,465	62,900
	LED TV	1,09,413	-	-	-	15%	16,412	-	-	-	16,412	93,001	1,09,413
	Split AC	1,68,966	-	37,733	-	15%	25,345	-	2,830	-	28,175	1,78,524	1,68,966
	EPBX Machine	1,03,693	-	-	-	15%	15,554	-	-	-	15,554	88,139	1,03,693
	Fax Machine	3,376	-	-	-	15%	506	-	-	-	506	2,870	3,376
	Filing System	73,028	-	-	-	15%	10,954	-	-	-	10,954	62,074	73,028
	Fire Alarm System	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	-
	Hot Case	1,486	-	-	-	15%	223	-	-	-	223	1,263	1,486
	Multimedia Projector	31,398	-	-	-	15%	4,710	-	-	-	4,710	26,688	31,398
	Photocopier	2,06,058	-	-	-	15%	30,909	-	-	-	30,909	1,75,149	2,06,058
	Projection Screen	2,078	-	-	-	15%	312	-	-	-	312	1,766	2,078
	Telephone Set	27,199	-	-	-	15%	4,080	-	-	-	4,080	23,119	27,199
	Water Cooler	8,830	-	-	-	15%	1,324	-	-	-	1,324	7,505	8,830
	Gyser	3,057	-	-	-	15%	459	-	-	-	459	2,599	3,057
	Paper Shredding Machine	6,048	-	-	-	15%	907	-	-	-	907	5,141	6,048
	Refrigerator	30,478	-	36,950	-	15%	4,572	-	2,771	-	7,343	60,085	30,478
	Spiral Binding Machine	3,642	-	-	-	15%	546	-	-	-	546	3,095	3,642
	Biometric Machine	10,732	-	-	-	15%	1,610	-	-	-	1,610	9,122	10,732
	Oil Filled Room Heater	1,13,699	-	-	-	15%	17,055	-	-	-	17,055	96,644	1,13,699
	Fire Extinguisher	-	1,75,197	-	-	15%	-	26,280	-	-	26,280	1,48,917	-
	Air Purifier	-	-	38,957	-	15%	-	-	2,922	-	2,922	36,035	-
	Camera	-	-	1,05,610	-	15%	-	-	7,921	-	7,921	97,689	-



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

	CCTV Camera	-	71,955	-	-	15%	-	-	10,793	-	-	10,793	-	61,162	-
	Microwave Oven	-	-	15,900	-	15%	-	-	-	-	1,193	-	-	14,708	-
7	COMPUTER/ PERIPHERALS/ SOFTWARES														
	Computer Accessories	20,324	7,424	598	-	40%	8,130	2,970	-	11,219	-	-	17,127	20,324	-
	Desktops	6,04,898	-	9,02,727	-	40%	2,41,959	-	-	1,80,545	-	-	10,85,121	6,04,898	-
	UPS	4,71,750	-	-	-	40%	1,88,700	-	-	-	-	-	1,99,800	4,71,750	-
	Laptops	2,39,971	83,993	-	-	40%	95,988	33,597	-	-	-	-	1,94,378	2,39,971	-
	Printer	1,36,750	-	25,559	-	40%	54,700	-	-	5,112	-	-	1,02,497	1,36,750	-
	Software	16,631	-	-	-	40%	6,652	-	-	-	-	-	9,978	16,631	-
	E-aushadhi Software	27,72,433	-	-	-	40%	11,08,973	-	-	-	-	-	16,63,460	27,72,433	-
	Website Development Charges	3,91,441	-	-	-	40%	1,56,576	-	-	-	-	-	2,34,865	3,91,441	-
		-													
8	WAREHOUSE EQUIPMENTS														
	Hand Pallet Trucks	2,49,744	-	-	-	15%	37,462	-	-	-	-	-	2,12,282	2,49,744	-
	Plastic Pallets	1,20,89,053	-	-	-	10%	12,08,905	-	-	-	-	-	1,08,80,148	1,20,89,053	-
	Electric Stackers	1,21,35,346	1,200	4,319	-	15%	18,20,302	180	-	324	-	-	1,03,20,059	1,21,35,346	-
	Pallet & Shelving Racks	51,46,211	-	-	-	10%	5,14,621	-	-	-	-	-	46,31,590	51,46,211	-
	HVAC Chambers	5,93,507	-	-	-	15%	89,026	-	-	-	-	-	5,04,481	5,93,507	-
	TOTAL OF CURRENT YEAR	6,78,64,730	35,10,051	11,88,369	-		89,67,338	3,90,848	-	2,04,738	-	-	6,29,16,976	6,78,64,730	-
	PREVIOUS YEAR CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	7,48,69,416	1,06,85,445		49,29,815		1,14,38,154	9,05,079	-	-	-	-	7,48,69,416	7,48,69,416	-
	TOTAL	6,78,64,730	35,10,051	11,88,369	-		89,67,338	3,90,848	-	-	-	-	6,29,16,977	6,78,64,730	-



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2021

SCHEDULE 9: INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
1)	In Government Securities	-	-
2)	Other Approved Securities	-	-
3)	Shares	-	-
4)	Debentures and Bonds	-	-
5)	Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6)	Other (to be specified)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 10: INVESTMENTS - OTHERS

(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
1)	In Government Securities	-	-
2)	Other Approved Securities	-	-
3)	Shares	-	-
4)	Debentures and Bonds	-	-
5)	Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6)	Other- Term Deposit with SBI	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
 AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
 GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
 DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2021

SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES, ETC

(Amount in Rupees)


Particulars		2020-21		2019-2020	
A)	CURRENT ASSETS				
1)	Inventories :				
	a) Stores and Spares				
	b) Loose Tools				
	c) Stock in Trade				
	Finished Goods	6,22,59,16,467	6,22,59,16,467	7,17,47,96,599	7,17,47,96,599
	Work in Progress				
	Raw Material				
	Stock of Stationary	1,12,600.00	1,12,600.00		
2)	Sundry Debtors :				
	a) Debts outstanding for a period exceeding six months				
	b) Others	-	-	-	-
3)	Cash Balance in Hand (Including Cheques/Drafts and Imprest)	8,341	8,341	8,341	8,341
4)	a) Bank Balance :				
	:- On Deposit Accounts	23,74,06,95,238		16,54,40,16,603	
	:- On Saving Accounts				
	SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	1,59,24,87,556		23,33,66,681	
	IDBI SB A/c No 0127104000022163	5,79,603		5,61,727	
	SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	16,565		75,922	
	SBI CHD, A/c No. 40049381344	4,55,87,134			
	SBI FWP, A/c No. 39923834554	18,00,287			
	SBI NACO, A/c No. 39924350550	80,31,748			
	SBI NTEP, A/c No. 39924196110	14,03,342			
	SBI, NVBDCP, A/c No. 39923991528	14,21,98,587			
	SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	1,68,350			
	SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	1,85,36,214			
	SBI UIP, A/c No. 39923801992	2,39,18,937			
		25,57,54,23,561	25,57,54,23,561	16,77,80,20,933	16,77,80,20,933
	b) With non-Scheduled Banks				
	:- On Current Accounts				
	:- On Deposit Accounts				
5)	Post Office - Saving Accounts				
	Less: Deductions during the year				
	TOTAL - A		31,801,460,969		23,952,825,873



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

B	LOANS & ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1)	Advances and Other Amounts recoverable in cash or value to be received				
	a) MTNL Security	2,500	-	2,500	
	b) Recovery of Pay	3,50,532	-	3,67,159	
	c) Income Tax Recoverable	14,94,09,597	-	15,82,88,987	
	d) Water Security	700	-	700	
	e) Telephone Security (Warehouse)	12,713	-	12,713	
	f) Accrued interest on Savings Bank (SBI)	21,14,926	-	12,31,921	
	g) Accrued Interest on Term Deposits	6,86,27,981	-	37,51,87,484	
	h) Warehouse Imprest	-99,712	-	24,19,098	
	i) LPG Gas Connection Security Deposit	6,707			
	j) SBI Term Deposit TDS Recoverable A/c	1,67,10,831			
	k) TCS Receivable	4,80,167			
	l) GST Electronic Cash Ledger	45,676			
	Lab Testing Funds - Recoverable	12,09,49,036	-	5,41,62,873	
	Transportation Charges (Warehouse) - Recoverable	11,87,99,315	-	6,10,56,084	
	Administrative Charges Recoverable	55,36,15,404	-	35,04,81,571	
			1,03,10,26,373		1,00,32,11,090
2)	Tour Advance				
	i) Staff Tour Advance	5,69,614	-	1,18,535	
		5,69,614	5,69,614	1,18,535	1,18,535
	TOTAL - B	1,03,15,95,987	1,03,15,95,987	1,00,33,29,625	1,00,33,29,625
	TOTAL (A+B)		32,83,30,56,956		24,95,61,55,498


GAURAV CHOUDHARY
 AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
 GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
 DG & CEO, CMSS



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2021

SCHEDULE 12: INCOME FROM SERVICES


(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
1)	INCOME FROM SALES		
	a) Sale of Finished Goods	-	-
	b) Sale of Raw Material	-	-
	c) Sale of Scraps	-	-
2)	INCOME FROM SERVICES		
	Administrative Charges for Procurement of NVBDCP	9,32,90,186	9,34,80,235
	Administrative Charges for Procurement of NVHCP	2,40,89,305	69,21,823
	Administrative Charges for Procurement of NTEP (RNTCP)	16,05,88,907	55,08,13,710
	Administrative Charges for Procurement of FWP	67,25,096	1,40,20,893
	Administrative Charges for Procurement of NACP	22,33,79,997	42,96,28,429
	Administrative Charges for Procurement of UIP	4,82,07,446	46,81,491
	Administrative Charges for Procurement of CDSCO	17,31,505	-
	Administrative Charges for Procurement of CHD	53,81,175	-
	Administrative Charges for Procurement of JSR Oxygen Cylinder	3,34,19,579	-
	Administrative Charges for Procurement of CRPF	-	9,56,598
	Administrative Charges for Procurement of CISF	-	4,39,451
	Administrative Charges for Procurement of ITBP	-	2,28,149
	Administrative Charges for Procurement of SSB	-	3,33,752
	Administrative Charges for Procurement of CRPF	-	1,93,503
	Administrative Charges for Procurement of BSF	-	4,56,413
	TOTAL	59,68,13,196	1,10,21,54,447

SCHEDULE 13: GRANTS/SUBSIDIES

(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
1)	Central Government	-	-
2)	State Government	-	-
3)	Government Agencies	-	-
4)	Institutions/Welfare Bodies	-	-
5)	International Organisations	-	-
6)	Others (Specify)	-	-
	TOTAL	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2019

SCHEDULE 14: FEES/SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rupees)

Particulars		2020-21	2019-20
1)	Entry Fees	-	-
2)	Annual Fees/Subscriptions	-	-
3)	Seminar/Programme Fees	-	-
4)	Consultancy/Coaching Fees	-	-
5)	Others (Specify)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE: 15 INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in Rupees)

Particulars		Investment From Earmarked Funds		Investment- Others	
Income from Investments From Earmarked/Endowment Transferred to Funds		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1)	Interest				
	a) On Govt. Securities	-	-	-	-
	b) Other Funds/Debentures	-	-	-	-
2)	Dividends				
	a) On Shares	-	-	-	-
	b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3)	Rents	-	-	-	-
4)	Others (Specify)- Term Deposits	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

SCHEDULE: 16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
1)	Income from Royalty	-	-
2)	Income from Publications	-	-
3)	Tender Fee	-	-
4)	Security Forfeiture	-	-
5)	Other Income	8,525	-
6)	Prior Period GST Interest of warehouses	69,166	-
7)	Prior period expenses reversal	34,88,002	-
8)	Interest Income on Income Tax Refund	29,92,834	-
TOTAL		65,58,527	-


GAURAV CHOUDHARY
 AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
 GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
 DG & CEO, CMSS



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2021

SCHEDULE 17 : INTEREST EARNED

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		Investment From Earmarked Funds	
Income from Investments		2020-21	2019-20
1)	On Term Deposits :		
	a) With Scheduled Banks	67,33,35,269	98,09,071
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) With Institutions	-	-
	d) Others	-	-
2)	On Savings Accounts :		
	a) With Scheduled Banks	1,61,19,907	3,12,85,547
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) With Institutions	-	-
	d) Others	-	-
3)	On Loan		
	a) Employees/Staff	-	-
	b) Others	-	-
4)	Interest to be transferred to Programmes	-64,03,97,892	-
5)	Interest on Debtors and Receivables	-	-
TOTAL		4,90,57,284	4,10,94,618

SCHEDULE 18: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
1)	Profit on Sales/Disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2)	Export Incentives Released	-	-
3)	Fees for Miscellaneous Services	-	-
4)	Miscellaneous Income	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET


As at 31st March' 2021

SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED

GOODS & WORK IN PROGRESS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
A)	Closing Stock		
	a) Finished Goods	6,22,59,16,467	7,17,47,96,599
	b) Work-in-Progress		
B)	Less: Opening Stock	7,17,47,96,599	4,39,55,74,779
	a) Finished Goods	-	-
	b) Work-in-Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (A-B)		-94,88,80,132	2,77,92,21,820


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
As at 31st March'2021

SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
a)	Salaries to OSD (Basic, DA & Gr. Pay)	29,68,346	28,95,142
b)	Pension Fund Contribution	4,94,466	9,10,907
c)	Leave Salary Contribution	2,59,006	8,09,602
d)	HRA Payout	6,08,892	5,99,280
e)	Medical Reimbursement	-	13,000
f)	News Paper Reimbursement	-	4,629
g)	Telephone Reimbursement	-	11,047
	Total	43,30,710	52,43,607
h)	Emoluments to Others Personnels	2,50,13,561	2,53,07,786
i)	Administrative Expenses		
1	Advertisement expenses (Tender)	9,33,783	11,11,400
2	Annual Maintenance Contract	7,02,170	8,94,681
3	Audit Fee	1,17,440	2,00,000
4	Bank Charges	2,33,364	1,65,962
5	Books & Periodicals	21,556	14,565
6	Cab Hiring	18,61,141	20,46,345
7	Computer Repair & Maintenance	46,798	28,142
8	E-Aushadhi (Manpower & Other Charges)	90,30,554	1,03,41,534
9	Electricity & Water Charges	16,00,311	14,68,383
10	Food Charges	12,831	8,400
11	Honorarium	27,600	6,95,800
12	Hotel Charges	26,460	31,938
13	Interest on TDS	7,02,381	1,922
14	Late Fees on GST	309	37,887
15	Legal Charges	5,68,995	2,07,550
16	Local Conveyance	2,58,843	4,82,437
17	Leave Encashment	5,82,996	12,03,232
18	Gratuity	1,35,073	26,98,046
19	Manpower Outsource (Warehouse)	2,23,51,316	2,11,80,090
20	Mineral Water Charges	1,02,240	-
21	Office Rent	2,54,67,612	2,35,94,395
22	Office Repair & Maint.	1,46,826	33,98,455
23	Other Office Expenses	4,74,829	12,39,728
24	Postage	16,85,705	21,97,203
25	Printing & Stationery	9,74,684	8,00,827
26	Professional Charges	2,83,200	1,59,040



PARTICULARS		2020-21	2019-20
27	Internal Audit Fees	1,62,840	3,39,300
28	Recruitment Expenses	-	-
29	Salaries (Warehouse Staff on Deputation)	7,030	1,30,634
30	Staff Welfare	10,56,978	-
31	Telephone & Internet Expenses	5,10,185	6,18,633
32	Transportation Charges	75,115	-
33	Travelling Expenses	4,49,432	5,11,757
34	Utility Support Service Charges	-	-
35	Warehouse Rent	10,29,92,323	10,25,64,631
36	Installation Charges & LPG Gas Charges	67,307	-
37	Short & Excess	-510	58
Total		20,30,13,988	20,89,24,368

SCHEDULE 21: OPERATIVE EXPENSES

(Amount in Rupees)

S. No.	PARTICULARS	2020-21	2019-20
OPERATIVE EXPENSES			
1)	Labour Charges	-	-
2)	Transportation Charges (Warehouse)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 22: EXPENDITURE, GRANTS, SUBSIDIES ETC.


(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
1)	Grants given to Institutions/Organisations	-	-
2)	Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 23: INTEREST

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
1)	On Fixed Loans	-	-
2)	On Other Loans (Including Bank Charges)	-	-
3)	Others (Paid to Sports Ministry on Unutilised Grant)	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March'2021

SCHEDULE 24: PURCHASE OF GOODS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
A)	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	5,03,52,39,356	3,87,77,73,790
B)	Family Welfare Planning (FWP)	45,20,20,801	40,98,34,474
C)	National Tuberculosis Control Programme (NTEP)	12,05,47,23,331	8,18,05,40,547
D)	National AIDS Control Programme (NACO)	7,54,70,56,938	4,05,80,86,377
E)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	96,46,68,085	86,97,37,794
F)	Universal Immunisation Programme (UIP)	51,12,84,661	13,39,35,688
G)	Central Armed Police Forces (Assam Rifles, ITBP, SSB, BSF, CRPF, CISF)	-	9,02,12,075
H)	Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO)	2,27,90,373	-
I)	Child Health Development (CHD)	7,94,62,157	-
J)	Medical Oxygen PSA Plant	65,57,13,812	-
K)	Oxygen Cylinder	44,13,36,699	-
L)	Prior Period Purchase	27,83,39,531	-
Total Inward		28,04,26,35,744	17,62,01,20,745


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
2nd Floor, Vishwa Yuvakkendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, New Delhi
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March 2021

SCHEDULE 25: COST OF GOODS TRANSFERRED TO PROGRAMME DIVISION

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2020-21	2019-20
A)	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	7,43,34,99,032	1,82,23,86,929
B)	Family Welfare Planning (FWP)	71,51,52,595	46,81,76,975
C)	National Tuberculosis Control Programme (NTEP)	11,80,02,14,160	7,66,41,68,788
D)	National AIDS Control Programme (NACO)	6,63,16,85,952	4,13,96,07,847
E)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	70,74,03,251	63,47,22,951
F)	Universal Immunisation Programme (UIP)	55,71,50,084	2,16,23,360
G)	Central Armed Police Forces (Assam Rifles, ITBP, SSB, BSF, CRPF, CISF)	-	9,02,12,075
H)	Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO)	2,27,90,373	-
I)	Child Health Development (CHD)	6,46,30,722	-
J)	Medical Oxygen PSA Plant	40,28,43,909	-
K)	Oxygen Cylinder	65,61,45,797	-
Total		28,99,15,15,875	14,84,08,98,925


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



Notes to Accounts and Significant Accounting Policies in preparation of Financials for FY 2020-21

1. Introduction

Central Medical Services Society (CMSS) has been established with the approval of union cabinet on 24.08.2011 as a Central Procurement Agency under Department of Health & Family Welfare, Govt of India, CMSS was set up in 2012 registered under Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) for procurement of quality health sector goods and services required by the Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India in a transparent and fair manner and make the goods available at convenient locations for the benefit of the users by addressing efficiently the supply chain issues.

CMSS is under administrative control of Ministry of Health & Family Welfare, Government of India having registered office : Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011. The society has taken IInd floor of Vishva Yuvak Kendra on lease from Indian Youth Centre Trust located in Chanakyapuri, New Delhi 110021.

As per the mandate given by the cabinet, Central Medical Services Society is to act as a Central Procurement Agency of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India.

During the FY 2020-21, CMSS was engaged in Procurement and distributions of medicines/drugs/medical devices for the following programme divisions under Ministry of Health and Family Welfare.

- a) Family Welfare Programme (FWP) of Ministry.
- b) National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDGP).
- c) National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP).
- d) National Aids Control Programme (NACP).
- e) National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP).
- f) Universal Immunisation Programme (UIP).
- g) Empanelment of testing laboratories for quality testing of Medicines/drugs/medical devices and health sector goods for above said programme.

2. Statement of compliance

The Financial Statements have been prepared in accordance with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).

3. Basis of preparation

The financial statements are prepared under the historical cost convention following accrual system of accounting, except wherever stated otherwise.

4. Procurement, Distribution & Closing Stock of Medicines and Medical Devices.

During the year 2020-21, CMSS has procured medicines and medical devices worth Rs. 23,29,55,49,766 on behalf of Programme Division and supplied material amounting to Rs. 24,22,00,94,329 to respective Programme Divisions. CMSS having balance stock of Rs. 6,22,59,16,467 - as on 31st March, 2021 lying in various warehouses of CMSS. Value of goods purchased, goods transferred to program division and closing stock is shown in Income and Expenditure Account for presentation purpose only. The goods were transferred to program division at the purchase price (includes all taxes & expenses); therefore it doesn't affect the revenue and expenditure of CMSS.



5. Balance Sheet Items

Cash and Bank Balances as on 31st March, 2021 :

Cash Balance Rs. 8,341/-

Bank Balance:

Bank Name	Account Number	Balance as on 31.03.2021 (As per Books of Accounts)
SBI Saving Bank Account	32719062216	1,59,24,87,556.00
SBI A/c No. (Bhopal W/H)	38019940410	16,565.00
SBI CHD, A/c	40049381344	4,55,87,134.00
SBI FWP, A/c	39923834554	18,00,287.00
SBI NACO, A/c	39924350550	80,31,748.00
SBI NTEP, A/c	39924196110	14,03,342.00
SBI, NVBDCP, A/c	39923991528	14,21,98,587.00
SBI NVHCP, A/c	39923836801	1,68,350.00
SBI PM CARES Fund A/c	39935538663	1,85,36,214.00
SBI UIP, A/c	39923801992	2,39,18,937.00
IDBI Saving Bank Account	0127104000022163	5,79,603.00

6. Fixed Deposit

The year end balances of fixed deposits made by the Society are summarized as below :-

S.No.	Bank Name	FDR No.	Balance as on 31.03.2021 (As per Books of Accounts)
1	IDBI Bank	0127105400106955	5,79,395.00
2	IDBI Bank	0127105400107792	8,38,976.00
3	IDBI Bank	0127105400107822	6,99,148.00
4	IDBI Bank	0127105000025726	23,27,866.00
Total			44,45,385.00

S.No.	Bank Name	FDR No.	Balance as on 31.03.2021 (As per Books of Accounts)
1	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39884255386	8,81,61,696.00
2	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 37856902036	31,96,166.00
3	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38080701329	53,95,680.00
4	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38360039876	36,39,40,040.00
5	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38905747512	66,98,45,551.00
6	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38905890120	32,56,589.00
7	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38905891146	64,47,156.00
8	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38906121391	44,32,10,345.00



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

9	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38906125635	52,71,73,050.00
10	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38992527117	52,43,88,177.00
11	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38992537249	8,43,06,625.00
12	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38992540354	7,30,35,058.00
13	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38998361119	45,94,780.00
14	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38998361471	48,68,813.00
15	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39067172861	49,55,96,108.00
16	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39067176162	52,35,96,383.00
17	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39067180373	33,60,74,419.00
18	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39067289122	89,53,513.00
19	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39067915560	52,36,77,885.00
20	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39141485098	18,42,79,530.00
21	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39141490358	2,70,50,420.00
22	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39235500383	56,00,047.00
23	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39242438519	1,04,24,90,720.00
24	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39242439602	1,00,57,65,307.00
25	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39242440540	51,19,06,158.00
26	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39965758378	50,18,32,116.00
27	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39965766322	43,13,51,727.00
28	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39965770101	11,25,31,492.00
29	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39965775246	64,25,25,366.00
30	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031283381	48,79,17,007.10
31	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031288878	50,00,00,000.00
32	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031341049	50,00,00,000.00
33	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031344404	50,00,00,000.00
34	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031347697	50,00,00,000.00
35	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031352992	50,00,00,000.00
36	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031356511	50,00,00,000.00
37	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031359329	50,00,00,000.00
38	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031363255	86,20,90,250.00
39	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40052422468	92,55,58,200.00
40	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40052427921	38,04,13,924.00
41	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40091600876	3,16,19,04,837.00
42	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40108789674	1,00,00,00,000.00



43	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40073123521	18,58,97,947.10
44	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40091585982	46,74,16,771.10
45	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40108791435	62,00,00,000.00
46	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40108792836	1,00,00,00,000.00
47	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40108794287	1,00,00,00,000.00
48	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40108795677	99,00,00,000.00
Total			23,73,62,49,853.30

Note: The Fixed deposit amounts mentioned above as on 31.03.2021 includes Interest Accrued for Rs. 6,86,27,979.00

7. **Fixed Assets**

The fixed assets have been physically verified by management on regular interval of time. However, proper fixed assets register has been maintained by the CMSS.

No insurance has been obtained by the Society.

8. **Depreciation**

Depreciation of the fixed assets has been charged at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961.

9. **Inventory**

Inventories are valued on cost basis. All the details of Inventory maintained at various warehouses all over the country has been maintained in the software E-Aushadhi. However, as regards the verification of Inventories, the plan was kept on hold due to COVID-19. Therefore the verification of stock at all warehouses will be done on the FY 2020-21.

10. **TDS (Income Tax) Reconciliation**

Particulars	2018-19	2019-20	2020-21	Total
In Books of Account	6,15,19,234	7,72,18,712	5,67,32,735	19,54,70,681
In form 26AS	6,15,19,234	7,72,18,712	5,67,32,735	19,54,70,681
Difference	0	0	0	0

All the previous year's balances of TDS have been recognized in current financial year 2020-21 and tallied with form 26AS.

11. **Employee Benefits**

Employee benefits include salaries, wages, gratuity, leave encashment towards un-availed leave, and other terminal benefits. As per the terms of employment of CMSS employees which are on roll of CMSS are eligible for Gratuity and Leave encashment, Provision for gratuity and leave encashment have been created during the FY.

Gratuity provision for all existing employees as on 31.03.2021 has been created by taking into account the salary for the month of March and no. of days completed as on 31st March 2021 proportionately as per the following formulae: Gratuity Provision = (Monthly salary) * No. of Years of Service * 15 / 26 and reduced by the provision already created as on 31.03.2020.

Similarly, the leave salary provision is calculated by taking into account the accrued



earned leave as on 31st March 2021 restricting it to 10 days for every completed year of service and multiplying the same on the basis of per day salary based on the salary for the month of March 2021 and the gross amount is reduced by the provision already created as on 31.03.2020.

12. **Income Taxes**

Income tax expense represents the sum of the current tax.

13. **General Administrative Expenses**

General administrative expenses which are directly attributable are allocated to activities and the balance is charged to Statement of Income and Expenditure Account.

14. **Transportation Charges**

Transportation Charges for the earlier years (FY 2017-18 & 2018-19) has been incurred by the CMSS for the movement of medicines and medical goods on behalf of various programmes. The same is shown as Current Assets as recoverable cost during FY 2020-21 from programmes as a reimbursement based on actual cost incurred.

SLNo.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Transportation charges reversible for 2019-20	6,10,56,084
2.	Transportation charges receivable for 2020-21	5,77,43,231
Total		11,87,99,315

15. **Revenue Recognition**

a. **Administration Charges :** CMSS derives revenue mainly in the form of Management fee which is 3%/1.9% fixed as per office Memorandum of MoH&FW for procurement of medicines and medical goods on behalf various programmes of MoH&FW.

Income from Administrative Charges is accounted on accrual basis on the basis of issue of NOA (Notification for Award) for procurement of medicines and medical devices for the respective programmes. However, during the F.Y. 2019-20 Income from Administrative charges was recognised on receipt basis. But during the current FY Income from Administrative charges has been on accrual basis and the administration charges not recognised in earlier years have been recognised in the accounts of current FY 2020-21 in compliance with the CAG Audit directions raised on administrative charges recognised during CAG audit of 2018-19:

Particulars	Amount (Rs.)
Administrative Charges accrued during the current FY (2020-21)	33,13,55,455.00

b. **Interest on Deposits :** Interest income is recognised on Savings and Fixed Deposits account kept with bank has been accounted for on accrual basis. However, during the current financial year Interest amount due to various programmes for the current FY as well as for earlier years has been shown as Liabilities as returnable to programmes. Interest earned on the corpus and administration has been shown as income of CMSS.

Separate Eight new Bank Accounts have been opened in the Feb. 2021 current financial year. The total Interest earned and accrued as on 31st March 2021 has been allocated to different programmes after retaining interest earned on CMSS corpus amount based on the fund flow for each programme. As separate account has been opened for each of the programme division the Interest earned will be based on the Interest earned as on the



FD's and balances linked with respective Bank accounts

Interest income is recognised where the right to receive payment is established.

Particulars	Amount (Rs.)
Interest due to various Programmes for the current FY (2020-21)	64,03,97,892.00

16. **Refund of Tax Deducted AT Source during the FY 2020-21**

As per 26AS, following Income Tax are required to be refunded by the department to the Society which are as follows:

Sl. No.	Financial year	Income Tax to be refunded as on 31.03.2021
1	2019-20*	7,72,18,712.00
2	2017-18	76,04,297.00
3	2015-16	33,57,727.00
4	2014-15	43,91,272.00
5	2013-14	1,05,124.00
Total		9,26,77,132.00

Note: *Income Tax refund for 2019-20 has been received with interest during the FY 2021-22.

17. **Court cases:** As far as the court cases is involved no contingent liability is expected against CMSS as most of the cases are pertaining to recovery of old payments or release of bank Guarantees and revocation of Black listing etc.

18. **General Information**

- As per provisions of GFR, CMSS is regularly submitting periodical report on quarterly basis to MoH&FW for utilization of funds.
- CMSS has deducted liquidity damages (LD) on late delivery of goods of Rs. 52,19,19,195/- and on Lab Testing Charges of Rs. 90,618/- which has been shown as current liabilities as on 31.03.2021 as returnable to various programmes, after reconciliation of suppliers account and after completion of all supply against particular demands.
- Income Tax Refund of Rs. 7,72,18,712.00 has been refunded by the IT department during the FY 2021-22 as reflected in point 16 above.
- There are at present 20 warehouses at various locations across the country to serve the needs of States and UTs. The warehouses have been hired from Central Warehousing Corporation (CWC). The warehouses have been renovated suitably and made compliant to good storage conditions and functional.
- As per the requirement of CMSS "E-Aushadhi" software was customize by CDAC. Now this "E-Aushadhi" software is fully functional. All the transactions made IT-driven from issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.
- Quality is considered as the main driver in procurement reform to be undertaken by the CMSS. The Quality Policy is in place. The aim of QA in Public Pharmaceutical Procurement / Supply System is to ensure that each medicine / product reaching to a patient is of desired quality. Apex level Govt. laboratories such as IPC, CDTL, NIMR, AIIMS, CIPET, EFRACL, EQDC, Arbro, Shri Ram, IIBAT and RMRIMS were empanelled for



testing of samples. With this, the arrangements for testing the procured drugs are in place to ensure that quality is met in every batch that will be distributed to the State and Union Territory authorities.

(vii) The Corpus Movement is shown as follows:

Particulars	Amount(Rs.)
Corpus as on 31.03.2016	44,43,90,782
Add/Less: Income transfer for the year 2016-17	-2,51,89,730
Corpus as on 31.03.2017	41,92,01,053
Add/Less: Income transfer for the year 2017-18	15,68,35,461
Corpus as on 31.03.2018	57,60,36,514
Add/Less: Income transfer for the year 2018-19	56,17,50,377
Corpus as on 31.03.2019	1,13,77,86,891
Add/Less: Income transfer for the year 2019-20	26,56,06,879
Balance Corpus as on 31.03.2020	1,40,33,93,770
Add/Less: Income transfer for the year 2020-21	43,97,68,845
Balance Corpus as on 31.03.2021	1,84,31,62,615



अ.शा.प्र.स.४-एस.जी.1/सी.एम.एस.एस./7-21/2021-22/838



कार्यालय :- महानिदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Office of the Principal Director of Audit
(Health, Welfare and Rural Development)
Indian Audit and Accounts Department

प्रवीण कुमार सक्सेना
निदेशक

दिनांक:

आदरणीय महोदय,

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गयी है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, इस कार्यालय के पत्र संख्या: ए.एम.जी.1/ सी.एम.एस.एस./7-21/2021-22/838 दिनांक: 31/01/22 को जारी किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान, कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में, दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

सादर,

अनुलग्नक: यथोपरि,

आपका शुभेच्छु,

प्रवीण सक्सेना
31/1/2022

श्री सुरेश पुरी
महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्था,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, प. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग,
चाणक्य पुरी, नई दिल्ली, -110021



31 मार्च 2021 की समाप्ति वर्ष के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के खातों के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग से मसौदा लेखा परीक्षा सूचना :

हमारे द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की धारा 20 (1) (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के तहत 31 मार्च 2021 तक के केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) का संलग्न तुलन – पत्र, आय, व्यय खातों, प्राप्तियों एवं भुगतान खातों का लेखा परीक्षण किया गया है। लेखा-परीक्षा को 2022-23 की अवधि तक सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण सीएमएसएस के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा किए गए लेखा – परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मापदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन उपचार पर हैं। कानून के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सी. ए. जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाली लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों की आवश्यकता है की योजना और लेखा परीक्षा प्रदर्शन के बारे में गलत विवरणों से मुक्त करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने की योजना बनाए और लेखा-परीक्षा करें। एक लेखा-परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच शामिल है, राशि और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के समर्थन सबूत शामिल हैं। एक लेखा-परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आँकलन करने के साथ – साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है की हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है ।

4. हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम आख्या करते हैं कि :-

- जो हमारी लेखा- परीक्षा के उद्देश्यों के लिए एवं हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थी हमने वो सभी स्पष्टीकरण और जानकारी प्राप्त की हैं।
- इस रिपोर्ट द्वारा संबंधित तुलन-पत्र, आय व्यय खाता और प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- हमारी राय में, सीएमएसएस द्वारा खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखा गया है, जहां तक कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।
- हम आगे आख्या करते हैं कि: -

क. तुलन – पत्र

क 1. संपत्तियाँ

क 1.1. वर्तमान संपत्तियाँ (अनुसूची II) – रु 3283.31 करोड़

क 1.1.1. 622.59 करोड़ रुपये की राशि को मौजूदा परिसंपत्तियों में व्यापार में स्टॉक के रूप में दिखाया गया है। इसमें 6.96 करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाओं की कीमत (साल 2020-21 में एक्सपायरी 1.57 करोड़ रुपये की दवाएं) शामिल हैं। चूंकि इन समाप्त हो चुकी दवाओं को आपूर्ति/ बेची जाने वाली वस्तुओं



के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए इन्हें सूची से कम करना आवश्यक है। हालांकि, स्टॉक से एक्सपायर्ड दवा के मूल्य में कमी न करने के परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों का अधिक विवरण हुआ।

पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान भी इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था।

नुकसान की जिम्मेदारी तय नहीं है (सीएमएसएस की है या क्लाइंट यानी मंत्रालय/विभाग की)। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों को 6.96 करोड़ रुपये से अधिक, आरक्षित और अधिशेष को 5.39 करोड़ रुपये से अधिक और व्यय को 1.57 करोड़ रुपये (यदि जिम्मेदारी सीएमएसएस के ऊपर है) को कम करके और वर्तमान देयता को 6.96 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। (यदि उत्तरदायित्व ग्राहक मंत्रालय/विभाग के ऊपर है)।

ख. आय और व्यय खाता:

ख.1. 59.68 करोड़ रुपये की राशि को वर्ष के दौरान बिक्री/सेवाओं से आय के रूप में दर्शाया गया है। इसमें एएमसी सेवाओं पर प्रबंधन शुल्क के रूप में 1.62 करोड़ रुपये (एएमसी सेवाओं की कुल लागत का 3%) शामिल हैं। सीएमएसएस के अनुसार, दश में से शेष सात वर्षों के लिए एएमसी इसके दायरे में नहीं था। इसलिए, एएमसी लागत पर प्रशासन प्रभार लगाना उचित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया और वर्तमान देनदारियों को 1.62 करोड़ रुपये से कम बताया गया।

ग. सामान्य

ग.1. 2764.78 करोड़ रुपये की राशि को अनुसूची 7 में विविध लेनदारों के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन इस राशि में से कुल 2292.00 करोड़ रुपये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से दवाओं की खरीद के लिए अग्रिम के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार, इन आंकड़ों को अनुसूची 7 में 'अग्रिम प्राप्त' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

ग.2. एस 15 में निर्धारित बीमांक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया गया था।

घ. अनुदान – सहायता

सी एम एस एस को वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रु 50.00 करोड़ का एक मुश्त अनुदान (गैर- आवर्ती) प्राप्त हुआ था और 2020-21 तक कोई अन्य अनुदान नहीं मिला था। इस अनुदान में से सी एम एस एस के पास 1 अप्रैल 2020 तक रु 25.47 करोड़ अव्यतीत शेष था। सी एम एस एस ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रु 0.69 करोड़ का ब्याज कमाया और शेष अनुदान राशि 31 मार्च 2021 तक रु 26.16 करोड़ अव्यतीत है।

च. प्रबंधन पत्र

जो कमी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है, उन्हें प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से सीएमएसएस के प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

- पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन –पत्र, आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्त और भुगतान खाते, खातों की पुस्तक के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है और ऊपर बताए



गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन है। रिपोर्ट भारत में आम तौर पर प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है।

- (क) जहां तक यह 31 मार्च 2021 को सीएमएसएस के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट से संबंधित है तथा
- (ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

अशोक सिन्हा
प्रमुख निदेशक लेखा – परीक्षा
(स्वास्थ्य कल्याण और ग्रामीण विकास)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :



अनुबंध-1

1. **आंतरिक वित्तीय प्रणालियों की उपयुक्तता**
चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सीएमएसएस की आंतरिक लेखा-परीक्षा की गई थी।
2. **हाथ में नकदी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
31.3.2020 तक की नगद राशि का भौतिक सत्यापन किया गया था।
3. **अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
4. **माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**
 - क) पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की सूची का भौतिक सत्यापन 31.03.2020 तक किया गया था।
 - ख) दवाओं का भौतिक सत्यापन (इन्वेंट्री) 31.03.2021 तक किया गया था।
5. **सांविधिक शुल्कों के भुगतान में नियमितता**
लेखा-विवरण के अनुसार सांविधिक शुल्कों के सदर्भ में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार छह महीने से अधिक का भुगतान बकाया नहीं है।



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)


द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2020-21	2019-20
कोष एवं देयताएं			
कॉर्पास / पूंजी कोष	1	1,84,31,62,614	1,40,33,93,770
भंडार एवं अधिशेष	2	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती कोष	3	-	-
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देनदारियां एवं प्रावधान	7	31,05,28,11,317	23,62,06,26,459
कुल		32,89,59,73,931	25,02,40,20,228
सम्पत्तियां			
स्थिर सम्पत्तियां	8	6,29,16,976	6,78,64,730
निर्धारित बंदोबस्ती कोष से निवेश	9	-	-
अन्य निवेश	10	-	-
चालू सम्पत्तियां, अग्रिम ऋण, आदि	11	32,83,30,56,956	24,95,61,55,498
विविध व्यय		-	-
(बड़े खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया)		-	-
कुल		32,89,59,73,932	25,02,40,20,228
रूपर दी गई अनुसूचियों, तुलन - पत्र का आंतरिक भाग है			
सम संख्या तारीख के अनुसार संलग्न			


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

[एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत]
द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

31 मार्च, 2021 को समाप्त प्राप्तियां और भुगतान खाता

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2020-21	2019-20
आय			
बिक्री / सेवाओं से आय	12	59,68,13,196	1,10,21,54,447
एनवीबीडीसीपी को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	7,43,34,99,032	1,82,23,86,929
परिवार नियोजन विभाग में स्थानांतरित वस्तुओं का मूल्य	25	71,51,52,595	46,81,76,975
एनटीईपी (आरएनटीसीपी) को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	11,80,02,14,160	7,66,41,68,788
एनएसीओ को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	6,63,16,85,952	4,13,96,07,847
एनवीएचसीपी को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	70,74,03,251	63,47,22,951
सीएपीफ को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	-	9,02,12,075
युआईपी को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	55,71,50,084	2,16,23,360
सीडीएससीओ को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	2,27,90,373	-
सीएचडी को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	6,46,30,722	-
पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को स्थानांतरित माल का मूल्य	25	40,28,43,909	-
जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडरों को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	65,61,45,797	-
अनुदान / सब्सिडी	13	-	-
शुल्क / सदस्यता	14	-	-
निवेश पर आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
अर्जित ब्याज	17	4,90,57,284	4,10,94,618
अन्य आय	16	65,58,527	-
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) एवं कार्य में प्रगति	19	-94,88,80,132	2,77,92,21,820
2017-18 के लिए परिवहन शुल्क प्रतिवर्ती		-	56,29,894
2018-19 के लिए परिवहन शुल्क प्रतिवर्ती		-	2,07,26,223
कुल क		28,69,50,64,750	18,78,97,25,927
व्यय			
एनवीबीडीसीपी की ओर से माल की खरीद	24	5,03,52,39,356	3,87,77,73,790
परिवार नियोजन विभाग की ओर से माल की खरीद	24	45,20,20,801	40,98,34,474
संशोधित राष्ट्रीय ट्यूबस्फेलोसिस कंट्रोल कार्यक्रम की ओर से माल की खरीद	24	12,05,47,23,331	8,18,05,40,547
राष्ट्रीय सहायता नियंत्रण कार्यक्रम की ओर से माल की खरीद	24	7,54,70,56,938	4,05,80,86,377
एनवीएचसीपी की ओर से माल की खरीद	24	96,46,68,085	86,97,37,794
युआईपी की ओर से माल की खरीद	24	51,12,84,661	13,39,35,688
सीएपीफ को स्थानांतरित माल का मूल्य	24	-	9,02,12,075
सीडीएससीओ को स्थानांतरित माल का मूल्य	24	2,27,90,373	-
सीएचडी को स्थानांतरित माल का मूल्य	24	7,94,62,157	-
पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को स्थानांतरित माल का मूल्य	24	65,57,13,812	-
जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडरों को हस्तांतरित माल का मूल्य	24	44,13,36,699	-
पूर्व अवधि की खरीद	24	27,83,39,531	-
कार्यकारी एवं प्रशासनिक व्यय	20	20,30,13,988	20,89,24,368
कार्यकारी व्यय	21	-	-
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज खर्च	23	-	-
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	96,46,174	1,07,53,918
वर्ष 2018-19 के लिए एनवीबीडीसीपी के कारण सुरक्षा जब्ती		-	47,86,625
कार्यक्रमों में अंतरित किया जाने वाला ब्याज		-	67,95,33,392
कुल ख		28,25,52,95,905	18,52,41,19,049
व्यय पर आय से अधिक शेष राशि के लिए (क - ख)		43,97,68,844	26,56,06,879



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

सैंद्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

31 मार्च, 2021 को समाप्त आय एवं व्यय खाता

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2020-21	2019-20	मुगतान	2020-21	2019-20
I- प्रारम्भिक शेष			I- स्थापना और प्रशासनिक व्यय	18,89,39,639	21,95,75,709
क) रोकड़ शेष	8,341	8,341	II- यातायात मुगतान	5,33,05,571	3,44,35,598
ख) बैंक शेष			III- परीक्षण व्यय	6,44,03,118	7,01,04,564
एसबीआई खाता सं. 32719062216 सावधि जमा	23,33,66,681	32,69,55,655	IV- अन्य निवेश	30,18,03,89,134	20,24,49,89,868
आईडीबीआई बचत खाता नं. 0127104000022163	5,61,727	5,42,181	V- ईएमडी / एसडी और प्रदर्शन गारंटी वापस की गई	10,09,25,317	5,72,56,664
एसबीआई खाता सं. 38019940410 मोपाल डब्ल्यू/एच	75,922	-	VI- कार्यक्रम के लिए धनवापसी (उपयोग न की गई निधि)	-	13,23,82,029
			VII- कर्तव्य और कर	42,06,16,739	26,72,62,553
II- प्राप्त ब्याज			VIII- अचल संपत्ति खरीद/पूजीकृत	17,33,474	-
क) सावधि जमा पर	67,31,32,094	32,63,47,639	IX- दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद	21,84,54,52,019	16,22,74,51,666
ख) बचत खाते पर	1,52,36,902	3,05,27,418	X- ऋण और अग्रिम	49,14,828	-
III- अन्य प्राप्तियां			XI- अंतिम शेष		
क) स्क्रीप की बिक्री और निविदा शुल्क	8,525	-	a) हाथ में नकदी	8,341	8,341
ख) शुल्क और कर	23,22,24,03,735	12,00,20,06,886	b) बैंक बैलेस	-	-
ग) सुरक्षा जमा / कार्य-निष्पादन गारंटी	-	2,80,45,943	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचत खाता नं. 32719062216	1,59,24,87,556	23,33,66,681
घ) अन्य रसीद (शुल्क और कर)	6,86,04,960	-	आईडीबीआई बचत खाता नं. 0127104000022163	5,79,603	5,61,727
ड.) अन्य प्राप्तियां (इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी)	28,54,527	20,75,288	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता नं. 38019940410 मोपाल (डब्ल्यू/एच)	16,565	75,922
IV- बयाना और सुरक्षा जमा	5,28,50,757	2,70,81,892	एसबीआई सीएचडी, खाता संख्या 40049381344	4,55,87,134	
V- कार्यक्रम से खरीद निधि			एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता संख्या 39923834554	18,00,287	
क) असम राइफल	-	67,08,097	एसबीआई नाको, खाता संख्या 39924350550	80,31,748	
ख) बीएसएफ	-	1,58,08,296	एसबीआई एनटीईपी, खाता संख्या 39924196110	14,03,342	
ग) सीआईएसएफ	-	1,52,22,952	एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता संख्या 39923991528	14,21,98,587	
घ) सीआरपीएफ	-	3,31,54,539	एसबीआई, एनवीएचसीपी, खाता संख्या 39923836801	1,68,350	
च) सीडीएससीओ	-	10,04,30,400	एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता संख्या 39935539683	1,85,36,214	
छ) आईटीबीपी	-	77,50,971	एसबीआई यूआईपी, खाता संख्या 39923801992	2,39,18,937	
ज) एसएसबी	-	1,15,67,221			
झ) राष्ट्रीय व्यास से पैदा बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम	4,48,96,95,766	4,59,69,67,806			
ट) परिवार नियोजन विभाग	38,40,56,605	17,55,06,833			



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय


(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. रुमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

31 मार्च, 2021 को समाप्त आय एवं व्यय खाता

ठ	राष्ट्रीय सहायता नियंत्रण कार्यक्रम	9,46,98,76,442	6,56,21,46,486			
ड	संशोधित राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल कार्यक्रम	11,26,65,73,935	12,72,84,21,534			
ढ	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम	33,36,77,022	23,95,87,356			
ण	यूआईपी	1,64,81,13,607	25,06,07,589			
त	सीएचडी	14,92,37,888	-			
थ	जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर	66,92,42,282	-			
द	पीएम केयर्स फंड	2,01,58,38,785	-			
	कुल	54,69,54,16,503	37,48,74,71,322	कुल	54,69,54,16,503	37,48,74,71,322


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS

**सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 1 : कार्पस/पूँजीगत निधि

(राशि रुपये में)

विवरण		2020-21	2019-20
क	वर्ष के प्रारम्भ में मंत्रालय द्वारा दिये गए अनुदान का शेष	25,47,47,035	24,58,66,812
ख	जोड़िए: वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज	68,78,170	88,80,224
ग	वर्ष की शुरुआत में सीएमएसएस इंटरनल एक्चूरल कॉर्पस बैलेंस	1,14,86,46,735	88,30,39,855
घ	जोड़िए: कॉर्पस/पूँजीगत निधि के लिए योगदान	-	-
च	जोड़िए: आय और व्यय खाते का शुद्ध शेष (उपरोक्त प्रारंभिक अनुदान बी पर ब्याज को छोड़कर)	43,28,90,674	26,56,06,879
वर्ष के अंत में शेष		1,84,31,62,614	1,40,33,93,770

अनुसूची 2 : आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपये में)

विवरण		2020-21	2019-20
1)	पूँजीगत आरक्षित		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-
	घटाइए: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2)	पुनर्मूल्यन आरक्षित		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-
	घटाइए: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3)	विशेष आरक्षित		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-
	घटाइए: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4)	सामान्य आरक्षित		
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-
	घटाइए: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
कुल		-	-



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)
द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 3 : निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां

(राशि रुपये में)

विवरण		निधि आधारित विवरण				कुल	
		एककालिक अनुदान	निधि XX	निधि YY	निधि ZZ	2020-21	2019-20
क)	निधियों का प्रारंभिक शेष	-					
ख)	निधियों में अनुवृद्धियां						
i)	दान/अनुदान	-	-	-	-	-	
ii)	वृद्धियों पर किए गए निवेश से आमदनी	-	-	-	-	-	-
iii)	अन्य अनुवृद्धियां (स्थानांतरित सरप्लस आमदनी एवं व्यय से)	-	-	-	-	-	-
	कुल (क+ख)	-	-	-	-	-	-
ग)	उपयोग/व्यय (निधियों के उद्देश्यों के लिए)						
i)	पूजीगत व्यय						
	नियत परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
ii)	राजस्व व्यय						
	वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
	किराया	-	-	-	-	-	-
	अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-	-	-
	कुल ग						
	वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 4 : प्रतिभूत ऋण एवं उधार

(राशि रुपये में)

विवरण		2020-21	2019-20
1.	केन्द्रीय सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3.	वित्तीय संस्थान		
(क)	सावधि ऋण	-	-
(ख)	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4.	बैंक		
(क)	सावधि ऋण	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
(ख)	अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5.	अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
6.	डिबेंचर एवं बांड	-	-
	कुल	-	-



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 5 : अप्रतिभूत ऋण एवं उधार

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
उपार्जित और देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर एवं बांड	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल अन्य	-	-

अनुसूची 6 : आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. पूजागत उपस्करों और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधन के द्वारा प्रतिभूत प्रतिग्रहण	-	-
2. अन्य (विद्युत व सिविल काम की सुरक्षा राशि जमा)	-	-
कुल	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 7 : चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रुपये में)

	विवरण	2020-21	2019-20
क)	चालू देयताएं		
1.	विविध लेनदार		
	(क) सामान के लिए	4,72,20,92,186	4,19,66,40,594
	(ख) अन्य	56,94,533	57,62,275
	(ग) सीडीएससीओ	7,59,08,522	10,04,30,400
	(घ) एफडब्ल्यूपी	41,33,63,296	47,88,51,618
	(च) नाको	6,72,87,40,871	2,27,50,75,345
	(छ) एनवीबीडीसीपी	17,30,87,777	2,78,40,13,434
	(ज) एनवीएचसीपी	36,09,90,472	49,18,95,904
	(झ) पीएओ असम राइफल्स	-	64,50,093
	(ट) पीएओ बीएसएफ	-	1,51,99,745
	(ड) पीएओ सीआईएसएफ	-	1,46,37,017
	(ड) पीएओ सीआरपीएफ	-	3,18,79,075
	(ढ) पीएओ आईटीबीपी	-	74,46,772
	(त) पीएओ एसएसबी	-	1,11,22,218
	(थ) आरएनटीसीपी	12,10,33,24,550	10,65,24,48,255
	(द) यूआईपी	1,37,15,01,834	24,63,94,248
	(ध) सीएचडी	7,88,67,246	-
	(न) जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर	12,26,569	-
	(प) पीएम केयर्स फंड	1,61,29,94,876	-
2.	प्राप्ति अग्रिम		
3.	उपार्जित ब्याज लेकिन निम्नलिखित पर देय नहीं :		
	उपार्जित ऋण/उधार	-	-
	अप्रतिभूत ऋण/उधार	-	-
4.	सांविधिक देयताएं		
	अतिदेय	-	-
	अन्य	-	-
5.	अन्य चालू देयताएं		
	अग्रिम धन जमा — आईपी	2,64,93,805	1,40,52,120
	अग्रिम धन जमा — अन्य	49,33,779	70,55,579
	सुरक्षा जमा (सिविल और इलेक्ट्रिकल काम)	12,500	12,500
	परिसमाप्त क्षतियां खरीद	6,52,91,470	6,52,91,470
	परिसमाप्त क्षतियां प्रयोगशाला परीक्षण	8,46,665	7,56,046
	नमूनाकरण और परीक्षण अग्रिम	10,42,38,378	5,67,26,309
	परिसमाप्त क्षतियां	1,06,62,39,926	63,10,20,601
	निष्पादन गारंटी	5,87,001	27,46,732
	सुरक्षा जमा राशि	4,45,99,239	7,71,70,312
	वेयरहाउस इम्प्रेस्ट	-	-
	दौरे देय खर्च	-	-



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/894/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. रुमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

	वेतन देय — प्रतिनियुक्ति	-	-
	संघ सदस्यता सुरेश पुरी, ओएसडी/सीएमएसएस	-	-
	अन्य कटौती	40,611	60,611
	परीक्षण निधि	-	-
	विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देय ब्याज	2,01,12,23,298	1,37,08,25,406
	कुल — क	30,97,22,99,403	23,54,39,64,678
ख)	वैधानिक देयताएं		
	टीडीएस — आईटी — देय	12,78,516	18,86,471
	टीडीएस (आईटी)	5,685	17,72,706
	आरसीएम — जी.एस.टी — देय	4,94,453	8,215
	जी.एस.टी — टीडीएस — देय	6,61,13,941	5,76,18,709
	कुल — ख	6,78,92,596	6,12,86,101
ग)	प्रावधान		
	लेखा परीक्षा शुल्क	1,17,400	4,54,000
	कैब किराए पर लेने का शुल्क	1,77,610	1,58,445
	बिजली शुल्क	1,18,683	37,496
	छपाई और स्टेशनरी	-	72,052
	अवकाश नकदीकरण देय	17,58,228	12,03,232
	देय ग्रेच्युटी	28,33,119	26,98,046
	टेलीफोन इन्टरनेट का शुल्क	24,696	24,696
	गोदाम रेंट देय	-	28,59,962
	श्रमशक्ति आउटसोर्स शुल्क	18,61,975	18,28,609
	आन्तरिक लेखा शुल्क	1,62,840	2,15,400
	ऑकडे होस्टिंग (सी-डैक) शुल्क-देय	55,64,768	58,23,742
	कुल — ग	1,26,19,318	1,53,75,679
	कुल (क+ख+ग)	31,05,28,11,317	23,62,06,26,459


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
 (एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2021 के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/084/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)
 द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021
 (पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 8 : अचल संपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण		सकल ब्लॉक			मूल्यहास					कुल ब्लॉक		
	डब्ल्यूडीसी 01-04-2020 के अनुसार	इसके अलावा वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए	इसके अलावा वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए	वर्ष के दौरान हटाना	मूल्यहास दर	डब्ल्यूडीसी खाली पर लगने वाला मूल्यहास	वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए वृद्धि पर	अतिरिक्त वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए	वर्ष के दौरान पर कटौती	कुल मूल्यहास	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत की तरह
क) अचल संपत्तियाँ												
1 भूमि												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 भवन												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33,53,756	31,59,882	-	-	10%	3,35,376	3,15,988	-	-	6,51,364	58,62,274	33,53,756
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,42,86,201	-	-	-	10%	24,28,620	-	-	-	24,28,620	2,18,57,581	2,42,86,201
3 प्लॉट एवं मशीनरी तथा उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 फर्नीचर एवं फिक्स्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सेंटर टेबल	4,10,490	-	-	-	10%	41,049	-	-	-	41,049	3,69,441	4,10,490



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

	कुसी (व्यक्ति)	474	-	20,016	-	10%	47	-	1,001	-	1,048	19,442	474
	कुसीया	8,52,173	-	-	-	10%	85,217	-	-	-	85,217	7,66,956	8,52,173
	काफ़ेस टेबल	1,49,083	-	-	-	10%	14,908	-	-	-	14,908	1,34,175	1,49,083
	मलास बोर्ड्स	11,770	-	-	-	10%	1,177	-	-	-	1,177	10,593	11,770
	मिनथम बोर्ड	19,505	-	-	-	10%	1,950	-	-	-	1,950	17,554	19,505
	साईड टेबल	2,01,057	-	-	-	10%	20,106	-	-	-	20,106	1,80,951	2,01,057
	सोफा सेट	1,04,669	-	-	-	10%	10,467	-	-	-	10,467	94,202	1,04,669
	स्टील अलमारी	3,04,799	-	-	-	10%	30,480	-	-	-	30,480	2,74,319	3,04,799
	स्टील टेबल	98,722	-	-	-	10%	9,872	-	-	-	9,872	88,850	98,722
	टेबल (व्यक्ति)	1,577	-	-	-	10%	158	-	-	-	158	1,420	1,577
	टेंडर बॉक्स	1,329	-	-	-	10%	133	-	-	-	133	1,196	1,329
	लकड़ी की मेज	4,733	-	-	-	10%	473	-	-	-	473	4,260	4,733
	गोदाम के लिए फर्नीचर	4,82,821	-	-	-	10%	48,282	-	-	-	48,282	4,34,539	4,82,821
	लकड़ी की अलमारी	-	10,400	-	-	10%	-	1,040	-	-	1,040	9,360	4,82,821
6	ऑफिस उपकरण												
	एसी 1.5 (इन्वर्टेड)	6,96,966	-	-	-	15%	1,04,545	-	-	-	1,04,545	5,92,421	6,96,966
	एसी 2.0 (इन्वर्टेड)	10,50,465	-	-	-	15%	1,57,570	-	-	-	1,57,570	8,92,895	10,50,465
	कोण रैक	62,900	-	-	-	15%	9,435	-	-	-	9,435	53,465	62,900
	एलईडी टीवी	1,09,413	-	-	-	15%	16,412	-	-	-	16,412	93,001	1,09,413
	स्क्रिट एसी	1,68,966	-	37,733	-	15%	25,345	-	2,830	-	28,175	1,78,524	1,68,966
	ईपीबीएस मशीन	1,03,693	-	-	-	15%	15,554	-	-	-	15,554	88,139	1,03,693
	फैक्स मशीन	3,376	-	-	-	15%	506	-	-	-	506	2,870	3,376
	मरण तंत्र	73,028	-	-	-	15%	10,954	-	-	-	10,954	62,074	73,028
	फायर अलार्म सिस्टम	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	-
	हॉट कैंस	1,486	-	-	-	15%	223	-	-	-	223	1,263	1,486
	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	31,398	-	-	-	15%	4,710	-	-	-	4,710	26,688	31,398
	फोटोकॉपीयर	2,06,058	-	-	-	15%	30,909	-	-	-	30,909	1,75,149	2,06,058
	प्रोजेक्शन स्क्रीन	2,078	-	-	-	15%	312	-	-	-	312	1,766	2,078
	टेलीफोन सेट	27,199	-	-	-	15%	4,080	-	-	-	4,080	23,119	27,199
	कूलर	8,830	-	-	-	15%	1,324	-	-	-	1,324	7,505	8,830



	गीजर	3,057	-	-	-	15%	459	-	-	-	459	2,599	3,057
	पेपर ओडिंग मशीन	6,048	-	-	-	15%	907	-	-	-	907	5,141	6,048
	फ्रिज	30,478	-	36,950	-	15%	4,572	-	2,771	-	7,343	60,085	30,478
	सॉफ्टिल बाइडिंग मशीन	3,642	-	-	-	15%	546	-	-	-	546	3,095	3,642
	बोयोमीट्रिक मशीन	10,732	-	-	-	15%	1,610	-	-	-	1,610	9,122	10,732
	तेलीय रुम हीटर	1,13,699	-	-	-	15%	17,055	-	-	-	17,055	96,644	1,13,699
	अग्निशामन यन्त्र	-	1,75,197	-	-	15%	-	26,280	-	-	26,280	1,48,917	-
	वायु शोधक	-	-	38,957	-	15%	-	-	2,922	-	2,922	36,035	-
	कैमरा	-	-	1,05,610	-	15%	-	-	7,921	-	7,921	97,689	-
	सीसीटीवी कैमरे	-	71,955	-	-	15%	-	10,793	-	-	10,793	61,162	-
	माइक्रोवेव ओवन	-	-	15,900	-	15%	-	-	1,193	-	1,193	14,708	-
7	कम्प्यूटर/बाह्य उपकरण												
	कम्प्यूटर सहायक उपकरण	20,324	7,424	598	-	40%	8,130	2,970	120	-	11,219	17,127	20,324
	डेस्कटॉप	6,04,898	-	9,02,727	-	40%	2,41,959	-	1,80,545	-	4,22,505	10,85,121	6,04,898
	यूपीएस	4,71,750	-	-	-	40%	1,88,700	-	-	-	2,71,950	1,99,800	4,71,750
	लेपटॉप	2,39,971	83,993	-	-	40%	95,988	33,597	-	-	1,29,586	1,94,378	2,39,971
	प्रिंटर	1,36,750	-	25,559	-	40%	54,700	-	5,112	-	59,812	1,02,497	1,36,750
	सॉफ्टवेयर	16,631	-	-	-	40%	6,652	-	-	-	6,652	9,978	16,631
	ई- ऑनलाइन सॉफ्टवेयर	27,72,433	-	-	-	40%	11,08,973	-	-	-	11,08,973	16,63,460	27,72,433
	वेबसाइट विकास शुरू	3,91,441	-	-	-	40%	1,56,576	-	-	-	1,56,576	2,34,865	3,91,441
8	गोदाम के उपकरण												
	हैंड पेटेट ट्रक	2,49,744	-	-	-	15%	37,462	-	-	-	37,462	2,12,282	2,49,744
	प्लास्टिक पेटेट	1,20,89,053	-	-	-	10%	12,08,905	-	-	-	12,08,905	1,08,80,148	1,20,89,053
	इलेक्ट्रिक स्टैकर्स	1,21,35,346	1,200	4,319	-	15%	18,20,302	180	324	-	18,20,806	1,03,20,059	1,21,35,346
	पेटेट ऑपरेटिंग रैक	51,46,211	-	-	-	10%	5,14,621	-	-	-	5,14,621	46,31,590	51,46,211
	एचवीसी चेम्बर्स	5,93,507	-	-	-	15%	89,026	-	-	-	89,026	5,04,481	5,93,507
	चालू वर्ष का योग	6,78,64,730	35,10,051	11,88,369	-		89,67,338	3,90,848	2,04,738	-	96,46,174	6,29,16,976	6,78,64,730
	पिछले वर्ष का योग	7,48,69,416	1,06,85,445	-	49,29,815		1,14,38,134	9,05,079	-	-	1,23,43,213	7,48,69,416	7,48,69,416
B.	पूँजी कार्य प्रगती												
	कुल	6,78,64,730	35,10,051	11,88,369	-		89,67,338	3,90,848	-	-	96,46,174	6,29,16,977	6,78,64,730



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जर्नल पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 9 : निर्धारित बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर्स एवं बांड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 : निवेश-अन्य

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर्स एवं बांड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य - एसबीआई के साथ सावधि जमा	-	-
कुल	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 11 : वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण अभिम आदि

(राशि रुपये में)

विवरण		2020-2021		2019-2020	
क)	वर्तमान सम्पत्ति				
1.	मालसूची				
	क) सामान एवं कल-पुरजे	-	-		
	ख) लूज टूल्स	-	-		
	ग) स्टॉक इन ट्रेड	-	-		
	निर्मित माल	6,22,59,16,467	6,22,59,16,467	7,17,47,96,599	7,17,47,96,599
	कार्य प्रगति में				
	कच्चा माल				
	स्टेशनरी का स्टॉक	1,12,600.00	1,12,600.00		
2.	विविध देनदार:				
	क) 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया पड़े ऋण				
	ख) अन्य	-	-		
3.	हाथ में नकद शेष (चैक, ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	8,341	8,341	8,341	8,341
4.	क) बैंक शेष :				
	— जमा खातों पर	23,74,06,95,238		16,54,40,16,603	
	— बचत खातों पर				
	एसबीआई एसबी एकाउंट नं.	1,59,24,87,556		23,33,66,681	
	आईडीआई एसबी एकाउंट नं.	5,79,603		5,61,727	
	एसबीआई एसबी एकाउंट नं. (भोपाल)	16,565		75,922	
	एसबीआई सीएचडी, खाता संख्या 40049381344	4,55,87,134			
	एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता संख्या 39923834554	18,00,287			
	एसबीआई नाको, खाता संख्या 39924350550	80,31,748			
	एसबीआई एनटीईपी, खाता संख्या 39924196110	14,03,342			
	एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता संख्या 39923991528	14,21,98,587			
	एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता संख्या 39923836801	1,68,350			
	एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता संख्या 39935538663	1,85,36,214			
	एसबीआई यूआईपी, खाता संख्या 39923801992	2,39,18,937			
		25,57,54,23,561	25,57,54,23,561	16,77,80,20,933	16,77,80,20,933



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ				
	चालू खातों पर				
	जमा खातों पर				
5.	डाकघर बचत खाते				
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-		
	कुल — क		31,80,14,60,969		23,95,28,25,873
ख	ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां				
1.	नकद वसूल किए जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले अग्रिम एवं अन्य धनराशि				
क)	एमटीएनएल सिक्यूरिटी	2,500	-	2,500	
ख)	वेतन की रिकवरी	3,50,532	-	3,67,159	
ग)	वसूली योग्य आयकर	14,94,09,597	-	15,82,88,987	
घ)	जल सिक्यूरिटी	700	-	700	
ङ)	टेलीफोन प्रतिभूति (वेयरहाउस)	12,713	-	12,713	
च)	बैंक के बचत खाते पर अर्जित ब्याज (एसबीआई)	21,14,926	-	12,31,921	
छ)	बैंक के सावधि बचत खाते पर अर्जित ब्याज	6,86,27,981	-	37,51,87,484	
ज)	वेयरहाउस इम्प्रेस्ट	-99,712	-	24,19,098	
झ)	एलपीजी गैस कनेक्शन सुरक्षा जमा	6,707			
ण)	एसबीआई सावधि जमा टीडीएस वसूली योग्य खाता	1,67,10,831			
त)	टीसीएस प्राप्त	4,80,167			
थ)	जी एस टी इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता	45,676			
	वसूली योग्य — लैब परीक्षण निधि	12,09,49,036	-	5,41,62,873	
	वसूली योग्य — परिवहन शुल्क (गोदाम)	11,87,99,315	-	6,10,56,084	
	वसूली योग्य — प्रशासनिक शुल्क	55,36,15,404	-	35,04,81,571	
			1,03,10,26,373		1,00,32,11,090
2.	दौरे की अग्रिम राशि				
	स्टाफ दौरे की अग्रिम राशि	5,69,614	-	1,18,535	
		5,69,614	5,69,614	1,18,535	1,18,535
	कुल — ख	1,03,15,95,987	1,03,15,95,987	1,00,33,29,625	1,00,33,29,625
	कुल — (क+ख)		32,83,30,56,956		24,95,61,55,498



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXA के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 12 : सेवाओं से आय

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. बिक्री से आय		
क) निर्मित सामानों की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्कूप की बिक्री	-	-
2. अन्य सेवाओं से आय	-	-
एनवीबीडीसीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	9,32,90,186	9,34,80,235
एनवीएचसीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	2,40,89,305	69,21,823
एनटीईपी (आरएनटीसीपी) की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	16,05,88,907	55,08,13,710
एफडब्ल्यूपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	67,25,096	1,40,20,893
एनएसीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	22,33,79,997	42,96,28,429
यूआईपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	4,82,07,446	46,81,491
सीडीएससीओ की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	17,31,505	-
सीएचडी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	53,81,175	-
जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	3,34,19,579	-
सीआरपीएफ की खरीद के लिए प्रशासनिक प्रभार	-	9,56,598
सीआईएसएफ की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	4,39,451
आईटीबीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	2,28,149
एसएसबी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	3,33,752
सीआरपीएफ की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	1,93,503
बीएसएफ की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	4,56,413
कुल	59,68,13,196	1,10,21,54,447

अनुसूची 13 : अनुदान/सब्सिडी

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)		
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 14 : शुल्क/अंशदान

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-
3. सेमिनार/प्रोग्राम शुल्क	-	-
4. कन्सल्टेंसी/कोचिंग शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)
द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021
(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 15 : निवेशों से आमदनी


(राशि रुपये में)

विवरण		उद्दिष्ट निधियों से निवेश		निवेश – अन्य	
निर्धारित/बंदोबस्ती से निवेशों पर आय निधियों को स्थानांतरित करना		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1.	ब्याज				
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	ख) अन्य निधियां/डिबेंचर्स	-	-	-	-
2.	लाभांश				
	क) शेयर पर	-	-	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3.	किराया	-	-	-	-
4.	अन्य (निर्दिष्ट करें) – सावधि जमा	-	-	-	-
कुल		-	-	-	-

अनुसूची 16 : रॉयल्टी पब्लिकेशन, आदि से आमदनी

(राशि रुपये में)

विवरण		2020-21	2019-20
1.	रॉयल्टी से आमदनी	-	-
2.	प्रकाशनों से आमदनी	-	-
3.	निविदा शुल्क	-	-
4.	सुरक्षा जब्ती	-	-
5.	अन्य आमदनी	8,525	-
6.	गोदामों का पूर्व अवधि जीएसटी ब्याज	69,166	-
7.	पूर्व अवधि के खर्च वापसी	34,88,002	-
8.	आयकर रिफंड पर ब्याज आय	29,92,834	-
कुल		65,58,527	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXXI के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)
द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज


(राशि रुपये में)

विवरण		निर्धारित धन से निवेश	
निवेश से आय		2020-21	2019-20
1.	सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	67,33,35,269	98,09,071
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
2.	बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	1,61,19,907	3,12,85,547
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
3.	ऋणों पर		
	क) कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
	ख) अन्य	-	-
4.	कार्यक्रमों को स्थानांतरित किये जाने वाला ब्याज	-64,03,97,892	-
5.	देनदारों और प्राप्य राशि पर ब्याज	-	-
कुल		4,90,57,284	4,10,94,618

अनुसूची 18 : रॉयल्टी, पब्लिकेशन आदि से आमदनी

(राशि रुपये में)

विवरण		2020-21	2019-20
1.	बिक्री पर मुनाफा/आस्तियों का निपटान		
	क) स्वामित्व वाली आस्तियां	-	-
	ख) अनुदानों से या मुफ्त प्राप्त आस्तियां	-	-
2.	निर्यात प्रोत्साहन-राशि जारी करना	-	-
3.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4.	विविध आमदनी	-	-
कुल		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां


31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 19 : निर्मित सामान के भंडार में वृद्धि/(कमी) एवं कार्य प्रगति में (राशि रुपये में)

विवरण		2020-21	2019-20
क)	शेषमाल		
	क) निर्मित सामान	6,22,59,16,467	7,17,47,96,599
	ख) कार्य प्रगति में	-	-
ख)	घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक	7,17,47,96,599	4,39,55,74,779
	क) निर्मित सामान	-	-
	ख) कार्य प्रगति में	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख)		-94,88,80,132	2,77,92,21,820

अनुसूची 20 : स्थापना खर्च (राशि रुपये में)

	विवरण	2020-21	2019-20
a	ओएसडी को वेतन (बेसिक, डीए एवं ग्रेड पे)	29,68,346	28,95,142
b	पेंशन फंड अंशदान	4,94,466	9,10,907
c	अवकाश वेतन अंशदान	2,59,006	8,09,602
d	एचआरए भुगतान	6,08,892	5,99,280
e	चिकित्सा प्रतिभूति	-	13,000
f	समाचार पत्र प्रतिभूति	-	4,629
g	टेलीफोन प्रतिभूति	-	11,047
	कुल	43,30,710	52,43,607
h	अन्य कार्मिक को परिलब्धि	2,50,13,561	2,53,07,786
i	प्रशासनिक शुल्क		
1	विज्ञापन खर्च (निविदा)	9,33,783	11,11,400
2	वार्षिक रखरखाव अनुबंध	7,02,170	8,94,681
3	लेखा परीक्षा शुल्क	1,17,440	2,00,000
4	बैंक प्रभार	2,33,364	1,65,962
5	पुस्तकें और पत्रिकाएं	21,556	14,565
6	कैब हायरिंग	18,61,141	20,46,345
7	कंप्यूटर मरम्मत और रखरखाव	46,798	28,142
8	ई-ओषधि (जनशक्ति और अन्य शुल्क)	90,30,554	1,03,41,534
9	बिजली और पानी के शुल्क	16,00,311	14,68,383
10	खाद्य शुल्क	12,831	8,400
11	मानदेय	27,600	6,95,800
12	डोटल शुल्क	26,460	31,938


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XX के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)


द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

	विवरण	2020-21	2019-20
13	टीडीएस पर ब्याज	7,02,381	1,922
14	जीएसटी पर लेट फीस	309	37,887
15	कानूनी शुल्क	5,68,995	2,07,550
16	स्थानीय वाहन	2,58,843	4,82,437
17	अवकाश नकदीकरण	5,82,996	12,03,232
18	ग्रेजुटी	1,35,073	26,98,046
19	श्रमशक्ति प्रभार (गोदाम)	2,23,51,316	2,11,80,090
20	मिनरल वाटर शुल्क	1,02,240	-
21	कार्यालय किराया	2,54,67,612	2,35,94,395
22	कार्यालय मरम्मत और रखरखाव	1,46,826	33,98,455
23	अन्य शुल्क	4,74,829	12,39,728
24	डाक	16,85,705	21,97,203
25	छपाई और स्टेशनरी	9,74,684	8,00,827
26	व्यावसायिक शुल्क	2,83,200	1,59,040
27	आन्तरिक लेखा शुल्क	1,62,840	3,39,300
28	मर्ती व्यय	-	-
29	वेतन (प्रतिनियुक्ति पर गोदाम कर्मचारी)	7,030	1,30,634
30	कर्मचारी कल्याण	10,56,978	-
31	टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	5,10,185	6,18,633
32	यातायात सुगमता	75,115	-
33	यात्रा खर्च	4,49,432	5,11,757
34	उपयोगिता सहायता सेवा शुल्क	-	-
35	गोदाम किराया	10,29,92,323	10,25,64,631
36	एलपीजी गैस कनेक्शन शुल्क	67,307	-
37	कमी / बढ़ोतरी	-510	58
	कुल	20,30,13,988	20,89,24,368


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 21 : परिचालन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
परिचालन व्यय		
1. श्रमिक को दिए गए अनुदान	-	-
2. परिवहन शुल्क (गोदाम)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 22 : अनुदानों, सब्सिडियों, आदि पर व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
2. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडियां	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 23 : ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. नियत ऋणों पर	-	-
2. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों के सहित)	-	-
3. अन्य (खेल मंत्रालय को अप्रयुक्त अनुदान पर भुगतान)	-	-
कुल	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. लमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)


तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 24 : सामान की खरीद

(राशि रुपये में)

विवरण		2020-21	2019-20
(क)	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	5,03,52,39,356	3,87,77,73,790
(ख)	परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूपी)	45,20,20,801	40,98,34,474
(ग)	राष्ट्रीय टीबी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीईपी)	12,05,47,23,331	8,18,05,40,547
(घ)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको)	7,54,70,56,938	4,05,80,86,377
(च)	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	96,46,68,085	86,97,37,794
(छ)	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	51,12,84,661	13,39,35,688
(ज)	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ)	-	9,02,12,075
(झ)	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	2,27,90,373	-
(ट)	बाल स्वास्थ्य विकास (सीएचडी)	7,94,62,157	-
(ठ)	मेडिकल ऑक्सीजन पीएसए प्लांट	65,57,13,812	-
(ड)	ऑक्सीजन सिलिंडर	44,13,36,699	-
(ढ)	पूर्व अवधि की खरीद	27,83,39,531	-
कुल		28,04,26,35,744	17,62,01,20,745


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

(एजेंसी वर्ष 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, XXI के अंतर्गतपंजीकरण सं. एस/094/2012 दिनांक 22/03/2012 के जरिए पंजीकृत)

द्वितीय तल, विश्व युवाकेन्द्र, पं. उमा शंकर मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110021

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 25 : कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित माल की लागत

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
(क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	7,43,34,99,032	1,82,23,86,929
(ख) परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूपी)	71,51,52,595	46,81,76,975
(ग) राष्ट्रीय टीबी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीईपी)	11,80,02,14,160	7,66,41,68,788
(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको)	6,63,16,85,952	4,13,96,07,847
(च) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	70,74,03,251	63,47,22,951
(छ) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	55,71,50,084	2,16,23,360
(ज) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ)	-	9,02,12,075
(झ) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	2,27,90,373	-
(ट) बाल स्वास्थ्य विकास (सीएचडी)	6,46,30,722	-
(ठ) मेडिकल ऑक्सीजन पीएसए प्लांट	40,28,43,909	-
(ड) ऑक्सीजन सिलिंडर	65,61,45,797	-
कुल	28,99,15,15,875	14,84,08,98,925


GAURAV CHOUDHARY
AGM (Finance), CMSS




DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खातों में तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. परिचय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सामान और सेवाओं की खरीद के लिए एवं उपयोगकर्ताओं को सही समय एवं सही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Act No. XXI of 1860) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (सीएमएसएस) को 2012 में कैबिनेट की मंजूरी दिनांक 24.08.2011 के उपरान्त स्थापित किया गया है।

सीएमएसएस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है जिसका पंजीकृत कार्यालय: निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली – 110011 में स्थित है। इस सोसाइटी ने इंडियन यूथ सेन्टर से विश्व युवक केंद्र के दूसरी मंजिल पर किराये में लिया है जो कि चाणक्यपुरी नई दिल्ली 110021 में स्थित है।

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय खरीद एजेंसी रूप में कार्यरत है, कैबिनेट के शासनादेश द्वारा स्थापित की गई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सीएमएसएस ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रम-विभाग के लिए दवाईयों/चिकित्सा उपकरण खरीदे और उनके निर्देशानुसार वितरित किये।

- क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)।
- ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)।
- ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)।
- घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)।
- च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार के राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)।
- छ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)।
- ज) दवाईयों / दवाओं / चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का पैनल बना गया है।

2. अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किया गया है।

3. तैयारी का आधार

लेखांकन की संचय प्रणाली के बाद ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, सिवाय इसके कि कहीं भी कहा गया हो।

4. चिकित्सकीय उपकरणों एवं दवाओं का क्रय, वितरण एवं समापन स्टॉक

वर्ष 2020-21 के दौरान, सीएमएसएस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रुपये 23,29,55,49,766 की दवाईयों और चिकित्सा उपकरणों का क्रय किया एवं संबंधित कार्यक्रम प्रभागों को रुपये 24,22,00,94,329 की आपूर्ति की गई। सीएमएसएस के पास 31 मार्च, 2021 को सीएमएसएस के



विभिन्न गोदामों में रुपये 6,22,59,16,467 का शेष स्टॉक रहा है। आय और व्यय खाते में सामानों की खरीद का मूल्य, कार्यक्रम प्रभागों को हस्तांतरित किए गये सामान एवं समापन स्टॉक को केवल प्रस्तुतीकरण के लिए दिखाया गया है। सभी सामानों को क्रय मूल्य (सभी करों और व्ययों सहित) पर कार्यक्रम प्रभाग के लिए स्थानांतरित किया गया था, इसलिए यह सीएमएसएस के राजस्व और व्यय को प्रभावित नहीं करता है।

5. तुलनापत्र आइटम

31 मार्च 2021 की समाप्ति पर नकद एवं बैंक शेष निम्नलिखित के अनुसार हैं :-

नकद शेष रु. 8,341/-

बैंक शेष:-

विवरण	खाता संख्या	शेष राशि 31.03.2021 (लेखा की पुस्तकों के अनुसार)
एसबीआई बैंक बचत खाता	32719062216	1,59,24,87,556.00
एसबीआई खाता संख्या (भोपाल डब्ल्यू/एच)	38019940410	16,565.00
एसबीआई सीएचडी, खाता	40049381344	4,55,87,134.00
एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता	39923834554	18,00,287.00
एसबीआई नाको, खाता	39924350550	80,31,748.00
एसबीआई एनटीईपी, खाता	39924196110	14,03,342.00
एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता	39923991528	14,21,98,587.00
एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता	39923836801	1,68,350.00
एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता	39935538663	1,85,36,214.00
एसबीआई यूआईपी, खाता	39923801992	2,39,18,937.00
आईडीबीआई बचत बैंक खाता	0127104000022163	5,79,603.00

6. फिक्स्ड डिपॉजिट

सोसायटी द्वारा की गई सावधि जमा राशि का वर्ष के अंत में शेष राशि निम्नानुसार संक्षेप में दी गई है :-

(राशि रुपये में)

क्र.स.	बैंक नाम	सावधि जमा रसीद संख्या	राशि 31.03.2021 (लेखा की पुस्तकों के अनुसार)
1	आईडीबीआई बैंक	0127105400106955	5,79,395.00
2	आईडीबीआई बैंक	0127105400107792	8,38,976.00
3	आईडीबीआई बैंक	0127105400107822	6,99,148.00
4	आईडीबीआई बैंक	0127105000025726	23,27,866.00
कुल			44,45,385.00



क्र.स.	बैंक नाम	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर	शेष राशि 31.03.2021 (लेखा की पुस्तकों के अनुसार)
1	भारतीय स्टेट बैंक	39884255386	8,81,61,696.00
2	भारतीय स्टेट बैंक	37856902036	31,96,166.00
3	भारतीय स्टेट बैंक	38080701329	53,95,680.00
4	भारतीय स्टेट बैंक	38360039876	36,39,40,040.00
5	भारतीय स्टेट बैंक	38905747512	66,98,45,551.00
6	भारतीय स्टेट बैंक	38905890120	32,56,589.00
7	भारतीय स्टेट बैंक	38905891146	64,47,156.00
8	भारतीय स्टेट बैंक	38906121391	44,32,10,345.00
9	भारतीय स्टेट बैंक	38906125635	52,71,73,050.00
10	भारतीय स्टेट बैंक	38992527117	52,43,88,177.00
11	भारतीय स्टेट बैंक	38992537249	8,43,06,625.00
12	भारतीय स्टेट बैंक	38992540354	7,30,35,058.00
13	भारतीय स्टेट बैंक	38998361119	45,94,780.00
14	भारतीय स्टेट बैंक	38998361471	48,68,813.00
15	भारतीय स्टेट बैंक	39067172861	49,55,96,108.00
16	भारतीय स्टेट बैंक	39067176162	52,35,96,383.00
17	भारतीय स्टेट बैंक	39067180373	33,60,74,419.00
18	भारतीय स्टेट बैंक	39067289122	89,53,513.00
19	भारतीय स्टेट बैंक	39067915560	52,36,77,885.00
20	भारतीय स्टेट बैंक	39141485098	18,42,79,530.00
21	भारतीय स्टेट बैंक	39141490358	2,70,50,420.00
22	भारतीय स्टेट बैंक	39235500383	56,00,047.00
23	भारतीय स्टेट बैंक	39242438519	1,04,24,90,720.00
24	भारतीय स्टेट बैंक	39242439602	1,00,57,65,307.00
25	भारतीय स्टेट बैंक	39242440540	51,19,06,158.00
26	भारतीय स्टेट बैंक	39965758378	50,18,32,116.00
27	भारतीय स्टेट बैंक	39965766322	43,13,51,727.00
28	भारतीय स्टेट बैंक	39965770101	11,25,31,492.00



Integrated Report & Annual Accounts 2020-21

29	भारतीय स्टेट बैंक	39965775246	64,25,25,366.00
30	भारतीय स्टेट बैंक	40031283381	48,79,17,007.10
31	भारतीय स्टेट बैंक	40031288878	50,00,00,000.00
32	भारतीय स्टेट बैंक	40031341049	50,00,00,000.00
33	भारतीय स्टेट बैंक	40031344404	50,00,00,000.00
34	भारतीय स्टेट बैंक	40031347697	50,00,00,000.00
35	भारतीय स्टेट बैंक	40031352992	50,00,00,000.00
36	भारतीय स्टेट बैंक	40031356511	50,00,00,000.00
37	भारतीय स्टेट बैंक	40031359329	50,00,00,000.00
38	भारतीय स्टेट बैंक	40031363255	86,20,90,250.00
39	भारतीय स्टेट बैंक	40052422468	92,55,58,200.00
40	भारतीय स्टेट बैंक	40052427921	38,04,13,924.00
41	भारतीय स्टेट बैंक	40091600876	3,16,19,04,837.00
42	भारतीय स्टेट बैंक	40108789674	1,00,00,00,000.00
43	भारतीय स्टेट बैंक	40073123521	18,58,97,947.10
44	भारतीय स्टेट बैंक	40091585982	46,74,16,771.10
45	भारतीय स्टेट बैंक	40108791435	62,00,00,000.00
46	भारतीय स्टेट बैंक	40108792836	1,00,00,00,000.00
47	भारतीय स्टेट बैंक	40108794287	1,00,00,00,000.00
48	भारतीय स्टेट बैंक	40108795677	99,00,00,000.00
कुल			23,73,62,49,853.30

टिप्पणी : 31.03.2021 को ऊपर लिखित सावधि जमा राशि में रु 6,86,27,979.00 के लिए अर्जित ब्याज शामिल है।

7. अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियों को नियमित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हालांकि, उचित अचल परिसम्पत्तियों के पंजीकरण को सीएमएसएस द्वारा उल्लिखित किया गया है। सोसाइटी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के लिए कोई बीमा नहीं किया गया है।

8. मूल्यहास

नियत परिसंपत्ति का मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 में विहित दरों पर प्रभारित किया गया है।



9. मालसूची

मालसूचियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। ई-औषधि सॉफ्टवेयर में देश भर के विभिन्न गोदामों में रखी गई मालसूची का सारा ब्योरा रखा गया है। जहाँ तक मालसूचियों के सत्यापन का संबंध है, योजना को कोविड-19 के कारण रोक कर रखा गया है। इसलिए सभी गोदामों में स्टॉक का सत्यापन वित्त वर्ष 2020-21 में किया गया।

10. टीडीएस (आयकर) सुलह

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
खाते की किताबों में	6,15,19,234	7,72,18,712	5,67,32,735	19,54,70,681
फॉर्म 26 एस में	6,15,19,234	7,72,18,712	5,67,32,735	19,54,70,681
अंतर	0	0	0	0

सभी पिछले वर्ष के टीडीएस को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मान्यता दी गई है और फॉर्म 26एस के साथ मिलान किया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी को वेतन, मजदूरी, ग्रेच्युटी, अप्रयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण और अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं। सीएमएसएस के शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के रोजगार, जो सीएमएसएस के भूमिका में हैं, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए पात्र हैं, वित्त वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान किया गया है।

31.03.2021 तक सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रावधान मार्च महीने के वेतन को ध्यान में रखकर बनाया गया है और 31 मार्च 2021 को पूर्ण किए गए दिनों की संख्या निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार आनुपातिक रूप से: ग्रेच्युटी प्रावधान = (मासिक वेतन) x 'सेवा के वर्षों की संख्या' x 15/26 और प्रावधान से कम 31.03.2020 से पहले बनाए गया।

इसी तरह, अवकाश वेतन प्रावधान की गणना 31 मार्च 2021 को अर्जित अवकाश को ध्यान में रखते हुये की जाती है, इसे सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10 दिनों तक सीमित कर दिया जाता है और इसे 31 मार्च तक का पूरे महीने के वेतन के अनुसार प्रति दिन के वेतन के आधार पर गुणा किया जाता है। सकल राशि को 31.03.2020 को पहले से बनाए गए प्रावधान से कम कर दिया गया है।

12. आय कर

आयकर व्यय वर्तमान कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

13. सामान्य प्रशासनिक व्यय

सामान्य प्रशासनिक व्यय जो सीधे जिम्मेदार होते हैं व्यय गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है और शेष राशि आय और व्यय खाते के विवरण के लिए चार्ज की जाती है।

14. यातायात भुगतान

पिछले वर्षों विभिन्न कार्यक्रमों और दवाओं एवं चिकित्सा सामानों की आवाजाही के लिए (वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19) के लिए सीएमएसएस द्वारा परिवहन शुल्क वहन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यक्रमों से वसूली योग्य लागत के रूप में वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वास्तविक लागत के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिखाया गया है।



क्र. सं.	विवरण	कुल राशि
1	2019-20 के लिए परिवहन शुल्क प्रतिवर्ती	6,10,56,084
2	2020-21 के लिए परिवहन शुल्क प्रतिवर्ती	5,77,43,231
	कुल	11,87,99,315

15. राजस्व मान्यता

(क) **प्रशासनिक शुल्क:** सीएमएसएस मुख्य रूप से प्रबंधन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करता है जो कि परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की ओर से दवाओं और चिकित्सकीय सामानों की खरीद के लिए परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 3%/1.9% निर्दिष्ट है।

संबंधित कार्यक्रमों के लिए दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद के लिए एनओए (पुरस्कार की अधिसूचना) जारी करने के आधार पर प्रशासनिक शुल्क से होने वाली आय का उपचय के आधार पर हिसाब किया जाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशासनिक शुल्क से हुई आय को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी गई थी। लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रमारों से होने वाली आय उपचय के आधार पर रही है और 2018-19 के सीएजी ऑडिट के दौरान मान्यता प्राप्त प्रशासनिक शुल्क पर उठाए गए सीएजी ऑडिट निर्देशों के अनुपालन में पिछले वर्षों में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए प्रशासनिक प्रमारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के खातों में मान्यता दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	कुल राशि
1	चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अर्जित प्रशासनिक शुल्क	33,13,55,455.00

(ख) **जमा पर ब्याज:** बैंक के पास रखे गए बचत और सावधि जमा खातों पर मान्यता प्राप्त ब्याज आय का उपचय के आधार पर हिसाब किया जाता है। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के विभिन्न कार्यक्रमों के कारण ब्याज राशि को कार्यक्रमों के प्रति वापसी योग्य देनदारियों के रूप में दिखाया गया है। संग्रहण और प्रशासन पर अर्जित ब्याज को सीएमएसएस की आय के रूप में दिखाया गया है।

चालू वित्त वर्ष फरवरी 2021 में अलग से आठ नए बैंक खाते खोले गए हैं। 31 मार्च 2021 तक अर्जित और उपाजित कुल ब्याज को, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए फंड प्रवाह के आधार पर सीएमएसएस कोष राशि पर अर्जित ब्याज को बनाए रखने के बाद, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है। चूंकि प्रत्येक प्रोग्राम डिजीजन के लिए अलग खाता खोला गया है, इसलिए इनपर अर्जित ब्याज, एफडी पर अर्जित ब्याज और संबंधित बैंक खातों में बची शेष राशि पर आधारित होगा।

जहाँ भुगतान प्राप्त करने का अधिकार पूर्वस्थापित होता है, वहाँ ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कारण ब्याज	64,03,97,892.00

16. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्रोत पर काटे गए कर की वापसी

26एस के अनुसार, विभाग द्वारा निम्नलिखित आयकर को सोसाइटी को वापिस करना है जो निम्न प्रकार है : -



क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	31 मार्च 2021 को आयकर वापिस होना
1	2019-20*	7,72,18,712.00
2	2017-18	76,04,297.00
3	2015-16	33,57,727.00
4	2014-15	43,91,272.00
5	2013-14	1,05,124.00
कुल		9,26,77,132.00

टिप्पणी : *वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2019-20 के लिए आयकर रिफंड ब्याज के साथ प्राप्त हुआ है।

17. अदालती मामले

जहां तक अदालती मामले शामिल हैं, सीएमएसएस के खिलाफ कोई आकस्मिक दायित्व अपेक्षित नहीं है क्योंकि अधिकांश मामले पुराने भुगतानों और वसूली या बैंक गारंटी जारी करने और ब्लैक लिस्टिंग से संबंधित आदि हैं।

18. सामान्य टिप्पणियां

- क) जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार, सीएमएसएस नियमित रूप से हर तिमाही आधार पर निधियों के उपयोग के लिए आवधिक रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करता है।
- ख) सीएमएसएस ने अपने विक्रेताओं से रु 52,19,19,195.00 और लैब टेस्ट रु 90,618.00 के सामानों की देर से वितरण पर परिसमाप्त क्षतियों को काटा है, जो 31.03.2021 के अनुसार एमओएचएफड ब्ल्यू के लिए देय राशि के रूप में लिया गया है जोकि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वापसी योग्य के रूप में, आपूर्तिकर्ताओं के खाते के समाधान के बाद और विशेष मांगों के खिलाफ सभी आपूर्ति के पूरा होने के बाद लिया गया है।
- ग) वित्तीय वर्षों कर दौरान आयकर रिफंड रुपये 7,72,18,712.00 आईटी विभाग द्वारा ऊपर बिंदु 16 में दर्शाया गया है, जोकि वर्ष 2021-22 में प्राप्त हुआ है।
- घ) वर्तमान में पुरे देश में विभिन्न जगहों पर 20 गोदाम है जो कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। सभी गोदाम केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराए पर लिये गये हैं। सभी गोदाम आवश्यकता अनुसार सुधार दिये गये हैं और भण्डारण के लिए अपयुक्त कर दिये गये हैं।
- च) वर्तमान परिदृश्य में, ई-औषधि सॉफ्टवेयर माल की खरीद के लिए पुरस्कार पत्र (एलओए) से लेकर पीओ (खरीद आदेश) तक सभी लेन-देन का ख्याल रखता है, फिर बाद के लेन-देन जैसे कि सामग्रियों की प्राप्ति, परीक्षण के लिए नमूना जारी करना और कार्यक्रम के प्रति माल जारी करना आदि ई-औषधि में दर्ज किए जाते हैं।
- छ) सीएमएसएस के तत्वाधान में 'गुणवत्ता' परिसीमन का मुख्य बिन्दु है। 'गुणवत्ता' मानक निर्धारित है। गुणवत्ता जांच टीम का उद्देश्य प्रत्येक दवाई की गुणवत्ता को जांचना है जो कि जनता तक पहुँचती है। नमूनों की जांच के लिए सरकार की विशेष प्रयोगशालायों से अनुबंध किया गया है जैसे की आईपीसी, सीडीटीएल, एनआईएमआर, एआईआईएमएस, सीआईपीईटी, ईएफआरएसीएल,



ईक्यूडीसी, आरब्रो, श्रीराम, आईआईबीएटी, और आरएमआरआईएमएस। इसके साथ ही गुणवत्ता जांच को सुनिश्चित करने के लिए सभी बैचों की जांच की जाती है, जो भी दवाई राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के वितरण हेतु खरीदी जाती हैं।

ज) कॉर्पस फंड बैलेंस चौथे वित्तीय वर्षों के दौरान नीचे दिखाया गया है।

विवरण	राशि
31.03.2016 को कोष	44,43,90,782
जोड़े/कम: वर्ष 2016-17 के लिए आय	-2,51,89,730
31.03.2017 को कोष	41,92,01,053
जोड़े/कम: वर्ष 2017-18 के लिए आय	15,68,35,461
31.03.2018 को कोष	57,60,36,514
जोड़े/कम: वर्ष 2018-19 के लिए आय	56,17,50,377
31.03.2019 को कोष	1,13,77,86,891
जोड़े/कम: वर्ष 2019-20 के लिए आय	26,56,06,879
31.03.2020 को कोष	1,40,33,93,770
जोड़े/कम: वर्ष 2020-21 के लिए आय	43,97,68,845
31.03.2021 को कोष शेष	1,84,31,62,615



Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India